


# namaskar

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 4 ISSUE 2 | JUL-AUG-SEP 2018

A black and white photograph of two clenched fists gripping vertical metal bars, symbolizing protest or resistance. The fists are positioned in the center of the frame, with the bars running vertically through them.

I am a  
**TEACHER,**

Not a  
**CRIMINAL**

**SHIKSHA | SURAKSHA | SAMMAN**

The Fight against Discrimination in Safety and Security  
Guidelines of Private School Teachers and Administrations.

**#BlackDay**

# ENTRIES OPEN!

## EduDoc

### STORIES OF EDUCATION

#### INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

**THEME** Education: Regulatory Challenges, Innovations & Solutions



Under  
5 Minutes



No  
Entry Fee



Use Any  
Equipment



International  
Participants Invited



Best 5 to be Screened at 10<sup>th</sup> School  
Choice National Conference 2018



**BEST**  
Film  
₹40,000

**2nd**  
**BEST**  
Film  
₹30,000

**3rd**  
**BEST**  
Film  
₹10,000

**EduDoc Fellow**  
**BEST**  
Film  
₹25,000



+91-11 4162 9006, 2652 1882, 2653 7456 Ext: 46  
[www.jeevika.org/edudoc-2018](http://www.jeevika.org/edudoc-2018) | [jeevika@ccs.in](mailto:jeevika@ccs.in)



An initiative of



Centre for  
CIVIL  
SOCIETY  
Social Change through Public Policy

Hindi online  
media partner



With support from



An Edelweiss Initiative

Freiheit Ka Amrit Mahotsav  
STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

# CONTENTS



**04**  
I am a teacher, not a criminal.



**14**  
2018 Resolution: Allow for-profit schools



**22**  
DCM Group of schools: A story of indomitable human spirit

## Editor's Desk

**02** The journey from educating to embarrassing our daughters...  
AVINASH CHANDRA

## President's Message

**04** I am a Teacher, not a criminal.  
KULBHUSHAN SHARMA

**06** Black Day activities

## From NISA

**09** New bonds, new frontiers - Desh Apnayan and NISA  
DEEPA NATARAJAN

## Education

**10** Why are government schools in India losing millions of students each year?  
TUSHAR GUPTA

**14** 2018 Resolution: Allow for-profit schools  
SHRUTI RAJAGOPALAN

**16** Unease of doing 'Business': What it takes to open and run a private school in India  
ARIHANT PAWARIYA

## Stakeholders Speak

**20** Envisioning a model school - straight from the fountainheads  
SHRADDHA JHA & BRIJESH KAPIL

## Education

**22** DCM group of schools: A story of indomitable human spirit  
RAKHI THAKUR

## NISA Partnerships

**25** Doctors as teachers: Good health made infectious in schools  
DR ANAND LAKSHMAN

## NISA Communique

**26** NISA National and State Activities

**28** Media

**28** Cartoon of the Edition

## NISA Members

**30** NISA Association Members



National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of Budget Private Schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

**20** States, **39** Associations  
**55,000+** Schools,  
**22,00,00,000+** Students

Become a member today! Join NISA



/nisaindia.org



/nisaedu



National Independent Schools Alliance

**One Year Subscription:**  
Cheque/draft of INR 500,  
in favour of NISA Education

## EDITORIAL OFFICE

A-69, Hauz Khas, New Delhi-110016, India

Tel: 011 2653 7456

website: [www.nisaindia.org](http://www.nisaindia.org)

For sales, subscription, advertisement or  
any other query,  
Contact: [nisa@nisaindia.org](mailto:nisa@nisaindia.org)

# The journey from educating to embarrassing our daughters...

**AVINASH CHANDRA**  
Editor

The 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme was launched in the year 2015 by Prime Minister Narendra Modi. The main objectives of this scheme were eliminating discriminatory gender selection process, ensuring the survival and safety of girls, and making arrangements for their formal education. To support this scheme, an initial fund of Rs 100 crore was provisioned, and a campaign 'Selfie with Daughter' was launched.

The 'Selfie with Daughter' campaign became a trend on social media and enjoyed mass support from different parts of the country. Women, especially from rural areas, got inspired to step out of their homes to pursue jobs and become independent.

Teaching is still considered to be the most suitable and safe job for women in the country. Many educated women started contributing in the field of teaching and training. The small budget schools opened in urban and rural areas proved to be supportive in this endeavour.

It was a win-win situation; schools started getting large number of female teachers and the women employed earned the means of self-reliance easily. Some women also started their own schools and started providing education in their localities. There are about 5 lakh large and small private schools in the country which employ around 50 lakh female teachers and employees.

In 2017, the Central Board of Secondary Education and the Haryana state government issued 'safety

guidelines' for all schools. These were impulsively issued after the murder of a student in Ryan International School, Gurugram. A grave spillover of these safety guidelines was the requirement of police verification and character certificate by the respective state's police department. During the process of verification, either the police started visiting the house of these female teachers or they let them be called to the police station. In such conditions, various female teachers began to stay at home instead of going to teach in school. This impulsive solution did not leave any stone unturned in reprimanding and embarrassing the female teachers. Moreover, it harmed their reputation. After this, it was observed that the incidents of violence against the teachers-headmistresses by their students have increased. Such instances have become common in schools of Haryana and Uttar Pradesh, states with already sensitive gender ratio and violence against women.

It has become a norm that if any accident occurs inside or outside of the school campus, then the school administrators and headmasters (usually women) are held responsible and sent to the prison. It's an implied ease to the police who can now take action against school teachers and other staff, courtesy pressure of state government and local administrations. The incidents occurred in the schools of Delhi, Maharajganj, Faizabad, Indore, Haryana are just some of the examples.

In many other incidents, it was observed that some powerful school operators conspire with the police to incriminate other school operators.





Once any school operator and the headmaster/headmistress is forced to go to the prison, then they become disreputable in the locality. Parents start shifting their children to other schools, and indirectly benefit the competing schools.

The people who do not pay school fees have also taken full advantage of this misrepresented rule followed by the state and administration. It has become a trend that when the school demands the fee, they are imputed with charges of reprimanding the children. Recently, in order to oppose such actions and prejudiced administrations, a pan-India organization of budget schools NISA

boycotted Teachers' Day celebrations by observing a 'Black Day'.

It is imperative for the government to become aware with the reality and take stringent steps to ensure the safety of teachers and school operators. In case of a complaint, proper investigation with required action against the actual culprit should be ensured. A criminal case should also be registered against people filing wrong complaints. With already pertaining issues of SC-ST Bill, reservation etc, the dissatisfaction of teachers and school operators across the country should not become a big vacuum in the path the 2019 election campaign.

It has become a norm that if any accident occurs inside or outside of the school campus, then the school administrators and headmasters (usually women) are held responsible and sent to the prison.



**SEP  
2017**

- CBSE issued a circular that the police verification of all the educational and non-educational employees of affiliated schools will be mandatory.

- Government of Delhi made it mandatory to get the police verification of all educational and the non-educational employees.

- Government of Haryana made it mandatory to get the police verification of all educational and the non-educational employees.

**NOV  
2017**

- In Mumbai, a Character certificate for educational and the non-educational employees issued by the competent authority was made mandatory.

**JAN  
2018**

- In Jammu, the police verification of all educational and the non-educational employees of the private schools was made mandatory.



**KULBHUSHAN SHARMA**  
President, NISA

# I am a **TEACHER,** not a **CRIMINAL.**

**Our Demand for a School and Teachers' Safety Act**

In India, education has always been the responsibility of society through voluntary efforts of individuals and community. Colonial India saw the introduction of formal education with English as the medium of instruction. This brought certain standardization in education. Post-independence, the responsibility of providing education to all was entrusted upon the State Governments. The weak capacity with resource constraints of the States

encouraged voluntary efforts to provide education alongside. The consequence of this is seen in the increasing numbers of enrollment in non-government educational institutes.

On one hand private schools continue to contribute in bringing equity, efficiency and quality in school education and on the other, their autonomy is increasingly being curbed. The government mandates guidelines in opening and operation



of schools with recognition norms, admission process, books selection, curriculum to be followed, teacher qualifications, staff salary and fee structures et al. Notions against privatization of education along with failure of some private schools to abide by the norms have permeated into tarnishing the identity of teachers associated with these schools.

Adding to the schools' plight is the highlighted narrative of students' safety and on whom does the onus lie. School management is being held responsible for any accident happening in school campus without due investigation. School teachers, non teaching staff and management are easy prey of blame and thereby unjust treatment and improper investigation. Media, today, portray schools and its management as criminals without any evidence base to support the claims. This approach has changed the functioning of the entire ecosystem, characterized by low motivation levels and fear of offence in any circumstance.

It is really sad to see teachers behind the bars in a country where we proudly celebrate the efforts of Dr Radhakrishnan and Savitribai Phule. We always talk about human and

child rights but we forget to talk about the teachers' right. There have been cases where the safety of teachers have been questioned. Teachers have been shot dead because they tried to do their duty.

I believe it is high time we discuss, debate and bring a Safety act to ensure the safety of teaching, non-teaching and management staff of the schools. The support which we have got across the length and breadth of the country shows the concern and need for this act. The Black Day that was observed on September 05' 2018 sacrificing all the celebration is an evidence for the present crucial situation of education and status of the teachers in this country.

Let us fight together for  
**SHIKSHA | SURAKSHA | SAMMAN!**

School teachers, non teaching staff and management are easy prey of blame and thereby unjust treatment and improper investigation. Media, today, portray schools and its management as criminals without any evidence base to support the claims. This approach has changed the functioning of the entire ecosystem, characterized by low motivation levels and fear of offence in any circumstance.





# Black Day Activities

## Why #Black Day?

- Lack of security for private school teachers
- Private schools at the risk of facing closure
- Students' future at stake





#BlackDay



# SHIKSHA BACHAO ABHIYAN

SHIKSHA | SURAKSHA | SAMMAN



New star school  
Bani





REGISTRATION OPEN

10<sup>th</sup>

SCHOOL CHOICE  
NATIONAL CONFERENCE

# Alternative Education

PHILOSOPHY, PRACTICE & POLICY

14 DEC 2018 10 AM - 6 PM

Silver Oak, India Habitat Centre,  
NEW DELHI



For details, visit: [www.ccs.in/education/SCNC2018](http://www.ccs.in/education/SCNC2018) Contact: [scnc@ccs.in](mailto:scnc@ccs.in) | +91-11-2653 7456 | +91-88003 44700

An Initiative of  
 Centre for  
CIVIL  
SOCIETY  
Social Change through Public Policy

In partnership with  
 NISAA  
National Independent Schools Alliance

With support from  
 EdelGive  
Foundation  
An Edelweiss Initiative

Online media partner  
 Azadi  
www.azadi.in

# New Bonds, New Frontiers - Desh Apnayen and NISA

Deepa Natarajan

Head - Programs, Desh Apnayen Sahyog Foundation



What if every Indian citizen knew the importance of participating in democracy? What if the citizens performed their duties besides claiming their rights? What if the citizens reduced their dependence on the government and instead were themselves "Alert, Informed and Active"?

Desh Apnayen Sahyog Foundation, an NGO founded by Shri Vallabh Bhanshali, Chairman and Co-founder of the Enam Group and his associates, is taking forward the mission of creating "Alert, Informed and Active citizens." Desh Apnayen (DA) aims to inspire and educate young citizens to be conscious and active by learning about democracy through its various programs at the individual, school and college level.

The mission rests on three pillars viz Citizenship, Volunteerism and Neighbourhood. This is put into action by the students of DA's 300+ partner schools from Punjab to Tamil Nadu through its dynamic Civics content, DISHA. The content is contextually mapped to the curriculum of ICSE,

CBSE and SSC Boards. The partner schools also carry out impact projects in their neighbourhoods through Desh Apnayen Citizenship Clubs (DACC) and other programs. DA felicitates the schools and teachers for their active participation through its DA Awards.

DA's role goes beyond impact projects and is more permanent. It aspires to bring a change in the mindset by moving students from 'apathy to ownership' and making them take responsibility for their own future, through Civics and Citizenship Education.

Desh Apnayen Sahyog Foundation and National Independent Schools Alliance (NISA) recently entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to impart Civics and Citizenship Education in NISA schools to build an Alert, Informed and Active citizenry in India. The MoU envisages various tools like introducing and training school teachers to various pedagogical elements and modern methods of teaching for the implementation in Desh Apnayen programs in NISA schools.

This partnership will in turn equip the teachers with the right tools for their professional development and career progression.

The first Orientation Program was conducted in Uggi, a small village near Jalandhar, Punjab. With this, Desh Apnayen penetrated into the nooks and corners of India where the 'Desh' (India) really lives, and took ownership (Apnayen) of the future of its young citizens. NISA made this outreach possible by catalysing the entire process of identifying and mobilising schools, principals and teachers, and taking Desh Apnayen to the villages and schools in the middle of nowhere.

Desh Apnayen in association with NISA is touching the lives of students, not as a marketing gimmick or pop nationalism, but to create the much needed social impact in the lives of real beneficiaries who exist in the interiors. DA has been evolving its training methodology by tailoring it to the needs of the target group. The fresh approach includes loads of fun activities and drama games that bring out the essence of practicing Civics without compromising on the learning outcomes. After the challenges faced in Uggi, we have made our trainings/orientations more versatile and brought in Hindi trainers. This method found great acceptance from the participants in Guwahati, Kurukshetra, Barnala, Kaithal and Ferozepur.

This program is just the first step in building the relationship that would lead to deeper engagement with schools through Desh Apnayen Citizenship Clubs and Impact Projects.





# Why are government schools in india losing millions of students each year?

Tushar Gupta

Senior Sub Editor, Swarajya

In the year 2010-11, an amount of Rs 486 crore was spent on teacher salary expenditure for 4,435 government schools. The number of teachers for all these schools was in excess of 14,000. The collective number of students studying in these 4,435 schools was, however, zero.

In 2015-16, the same expenditure had been reduced by Rs 152 crore. The number of teachers had come down to 6,961, a decrease of more than 50 percent, even though the number of government schools had risen to 5,044.

Across five years, from 2010 to 2015, the government spent more than Rs 1,000 crore for schools that had no students. The teachers were being paid salaries for classrooms that did not host a single pupil. The state, for years, had squandered money for empty classrooms. Not only were the skills of the employed teachers wasted, there was no effort to contain the existing and growing number of empty schools by the various state governments.

Sadly, this is not even the tip of the iceberg that is slowly sinking the ship of government schools in India. As these schools suffer from poor learning outcomes, as witnessed from the derivations of National Achievement Survey-2017, they also find themselves competing against private schools.

Clearly, the private schools offer an enhanced teaching experience, better student-teacher ratio, efficient learning methodologies, and superior infrastructure, thus driving parents away from government schools. Alongside, with increased rural-urban convergence,




Change in student enrolment in Government and Private schools, by state  
(2010-11 to 2015-16)

	Total student Enrolment						Average Enrolment Per School					
	Government schools			Private schools			Government			Private		
	2010-11	2015-16	Change	2010-11	2015-16	Change	2010-11	2015-16	Change	2010-11	2015-16	Change
Andhra Pradesh*	6186492	5367402	-819090	4592255	4943739	351484	78	73	-5	183	196	11
Assam	4082132	4140192	58060	998944	1013270	14326	92	83	-9	76	86	10
Bihar	19495910	21548010	2052100	404132	1812378	1408246	287	302	15	284	212	-72
Chhattisgarh	3808619	3281257	-527362	755632	1113912	358280	82	74	-8	166	188	22
Gujarat	5901456	5816280	-85176	2017575	3031588	1014013	176	172	-4	315	322	7
Haryana	2093700	1663752	-429948	1304015	2006442	702427	140	114	-26	235	270	35
Himachal Pradesh	745712	580395	-165317	284026	370371	86345	49	38	-11	124	140	16
Jammu-Kashmir	1213246	1024643	-188603	786400	832133	45733	55	44	-11	160	159	-1
Jharkhand	5591346	4727894	-863452	928935	1508344	579409	138	117	-21	315	257	-58
Karnataka	4624257	4043609	-580648	2328793	3007783	678990	99	89	-10	227	230	3
Kerala	1075886	859682	-216204	375084	1471373	1096289	217	188	-29	414	293	-121
Madhya Pradesh	10634585	7979148	-2655437	4623450	4720051	96601	95	70	-25	195	174	-21
Maharashtra	7418628	5937688	-1480940	2433975	3803480	1369505	108	88	-20	249	299	50
Odisha	5659929	5053711	-606218	599886	992117	392231	99	86	-13	138	176	38
Punjab	2165466	2072324	-93142	1642518	1760579	118061	107	101	-6	162	225	63
Rajasthan	7132668	6264557	-868111	4736520	6073144	1336624	92	89	-3	177	163	-14
Tamil Nadu	4262160	4170562	-91598	3250332	3196288	-54044	118	109	-9	306	292	-14
Uttar Pradesh	19688240	16602404	-3085836	10280445	17622294	7341849	130	103	-27	245	230	-15
Uttarakhand	936630	757137	-179493	617344	886874	269530	54	43	-11	128	158	30
West Bengal	13484910	11193885	-2291025	1349964	1662095	312131	170	135	-35	132	131	-1
India (20 states)	12,62,02,002	11,30,84,532	-1,31,17,470	4,43,10,225	6,18,28,266	1,75,18,031	122	108	-14	202	208	6

When it comes to learning outcomes, the private schools aren't significantly ahead of the government schools. In the case of the latter, the learning outcome report from the National Achievement Survey of 2017 shows that students' performance declines from classes III to VIII in critical subjects like mathematics, sciences, and languages. Flawed, yet the implementation of 'Right to Education', midday meals, and state incentives were supposed to increase the enrolments in government schools.

In this report, we derive data from 'The Private Schooling Phenomenon in India: A Review', a report by Geeta Gandhi Kingdon, IoE, University College London and IZA, March 2017.

From 2010-11 to 2015-16, many states witnessed a decline in their total government school enrolments. Andhra Pradesh, with half of its students enrolled in government schools, lost 0.8 million students in the last five years. Assam and Bihar with a high percentage of enrolments in government schools, however, gained. While Assam gained 0.05 million students, Bihar increased its enrolments by two million. Clearly, the number does not warrant the success of RTE, for the learning outcome report dictated the sorry state of public education in Bihar. Gujarat, remained steady, losing less than 0.1 million students in five years. Chhattisgarh witnessed its total enrolment decline by 0.5 million.






Total Enrollment in Government Schools



Average Enrollment in Government Schools



For many other states, the enrolment numbers across five years are in an alarming red. Haryana lost over 0.4 million, Himachal Pradesh lost 0.16 million, Jammu and Kashmir lost 0.18 million, Jharkhand lost 0.86 million, Kerala lost 0.21 million, Madhya Pradesh lost 2.6 million, Maharashtra lost 1.4 million, Odisha lost 0.6 million, Punjab lost 0.09 million, and Karnataka lost 0.5 million students from 2010-11 to 2015-16.

However, the situation in populated states like Maharashtra, Madhya Pradesh should not be looked with much concern, if the absolute numbers are taken into account. For instance, Uttar Pradesh and West Bengal lost 3.08 million and 2.29 million students respectively. However, the total students enrolled in Uttar Pradesh and West Bengal at the end of 2015-16 was in excess of 19 million and 13 million, more than five times the number of students they lost. Indeed, an underlying shift from government to private schools prevails in these


states, but the current population is able to absorb them, thus making quality education indispensable in government schools.

The concern, however, lies in the student number in some of the government schools. In the year 2010-11, almost one-third of the schools had less than 50 students. With over a million government schools in existence, the number of such schools can be estimated to be around 350,000. In 2011 alone, the teacher-salary expenditure for schools with less than 50 students was in excess of Rs. 21,000 crore. By 2015-16, the percentage of such schools swelled to 40 per cent of the total number and the expenditure more than doubled to Rs 48,340 crore!

Taking the social factors and geography in play, consolidation is not always a feasible option for government schools. Even the number of teachers for each student remains mismanaged. For instance, in 2015-16, schools with less than 20 students had two teachers for every one school. Clearly, the lack

What's worrying for the government is that even though the number of teachers in schools with zero students has gone down by 7,000, the percentage of such schools increased by 20 per cent from 2011-2016. The number of schools with five students or less increased by more than 33 per cent, with 10 or more students increasing by 50 per cent, with 20 or more students increasing by over 50 per cent.





of skill and subject expertise is felt in such schools, given a teacher cannot be expected to have expertise in all the subjects, and hence, often, it is the students that suffer. The National Achievement covered less than 10 per cent of the government schools, and thus with such imbalance in student-teacher numbers, expertise, and infrastructure, the learning outcome report's findings can be assumed to be even more depressing.

What's worrying for the government is that even though the number of teachers in schools with zero students has gone down by 7,000, the percentage of such schools

increased by 20 per cent from 2011-2016. The number of schools with five students or less increased by more than 33 per cent, with 10 or more students increasing by 50 per cent, with 20 or more students increasing by over 50 per cent. Clearly, the states have not only tremendously failed in keeping a check on the growing number of small government schools, they have also not been able to consolidate them in areas like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and Maharashtra.

Any school is as good as the teachers in it, the administration running it, and the government sustaining it. For government schools

in urban areas, the numbers might offer some hope, but for the ones in rural areas, even the ones without any student, there is an urgent need to eliminate the grey areas. The teachers must be given a classroom full of students to work in, not empty walls.

The attendance, performance evaluations, promotions to senior classes in all these small schools are questionable, for how can any government school with less than five or 50 students evaluate its teaching methodologies? For the government, the solution lies in looking at consolidation wherever possible, using big-data to understand school accessibility across India, and evaluate learning outcomes for all these small schools in order to understand the impact of such schools on students, and for course correction. Given that the private schools are still a long way from inculcating the majority of the student population, young India's best hope, even today, remains in government schools.

Source: Data derived from 'The Private Schooling Phenomenon in India: A Review', a report by Geeta Gandhi Kingdon, IoE, University College London and IZA, March 2017

**Emptying of government schools over time in India**  
(The phenomenon of small and tiny government schools, and changes in it, over time)

Govt. schools with total pupil enrolment of:	Number of Govt. Schools	Number of Teachers in Govt. Schools	Total Enrolment in Govt. Schools	Average pupils per school	Pupil teacher ratio	Teacher Salary Expenditure (Rs. Crores)	Govt. Annual Per-pupil Salary Exp. (Rupees)	Govt. Monthly Per-pupil salary Exp. (Rupees)
<b>2010-11</b>								
Zero	4,435	14,304	0	0	0	486	---	---
5 or Less	8,675	21,277	15,333	1.8	0.7	724	4,71,866	39,322
10 or Less	21,008	42,843	1,18,166	5.6	2.8	1,457	1,23,288	10,274
20 or Less	71,189	1,38,033	9,20,254	12.9	6.7	4,694	51,005	4,250
50 or Less	3,13,169	6,33,323	95,10,902	30.4	15.0	21,536	22,643	1,887
All govt. sch.	10,35,602							
<b>2015-16</b>								
Zero	5,044	6,961	0	0	0	334	---	---
5 or Less	12,196	19,419	26,186	2.1	1.3	1,016	3,87,992	32,333
10 or Less	31,963	55,822	1,90,340	6.0	3.4	2,921	1,53,441	12,787
20 or Less	1,08,183	2,08,534	13,94,126	12.9	6.7	10,910	78,260	6,522
50 or Less	4,18,825	9,23,929	11,743,182	28.0	12.7	48,340	41,164	3,430
All govt. sch.	10,47,895							
<b>Change between 2010 and 2015</b>								
Zero	+ 609	- 7,343	0	+ 0.0	+ 0.0	- 152	---	---
5 or Less	+ 3,521	- 1,858	+ 10,853	+ 0.3	+ 0.6	+ 292	- 83,874	- 6,989
10 or Less	+ 10,955	+ 12,979	+ 72,174	+ 0.4	+ 0.6	+ 1,464	+ 30,153	+ 2,513
20 or Less	+ 36,994	+ 70,501	+ 4,73,872	+ 0.0	+ 0.0	+ 6,216	+ 27,255	+ 2,272
50 or Less	+ 1,05,656	+ 2,90,606	+ 22,32,280	- 2.4	- 2.3	+ 26,804	+ 18,521	+ 1,543

# 2018 Resolution: Allow for-profit schools

IF WE DON'T ALLOW SCHOOLS TO PROFIT,  
OUR CHILDREN WILL BEAR THE LOSSES

SHRUTI RAJAGOPALAN

Fellow, Classical Liberal Institute, NYU School of Law, New York

As the new year begins, and the time for resolutions is upon us, I offer a single policy reform, which I think deserves the highest priority this year—liberalizing the education sector and allowing for-profit schools.

At 250 million-plus students, India has more school-going children than any other country. And it also has enough schools to service these students. Unfortunately, the Indian government school system is either crumbling or altogether non-functional. Most students who have passed elementary school are barely literate. Worse still, fifth graders cannot do simple arithmetic. Poor parents in India would rather pay to educate their children than send them to a government school for free. More damning and explicit evidence of the failure of the government


education system is difficult to find.

While most Indians recognize the failure of public education system in India, the rise of the private schools, especially of low-cost private schools, often remains unacknowledged. Private schools, in both urban and rural areas, are saving the lives and livelihoods of millions of Indians, who will enter the workforce in the next few decades. At a fraction of the cost required to run public schools, low-cost private schools provide a superior and affordable alternative.

There are four factors or trends in schooling in India, from a 2017 report by Geeta Gandhi Kingdon, that are worthy of consideration. First, a substantial number of students are already enrolled in private schools; 49% of urban and 21% of rural children attended private primary schools in 2014-15. Second, the

increase in the number of private schools is four-five times the increase in the number of government schools for the period 2010-11 to 2014-15. Third, total enrolment in government schools decreased by 11.1 million in that period, while enrolment in private schools increased by 16 million. Finally, these private schools are not demonstrating the exit of rich children from the government system; the median private school fee in urban India was Rs500 per month and in rural India Rs275 per month.

The most interesting aspect of the rise of private schools in India is that its growth has taken place in the most hostile environment for education entrepreneurship. The government imposes very costly hurdles to “recognize” a private school. Once recognized, it frequently nationalizes 25% of the enrolment for



socially and economically backward students under the Right to Education Act. And from time to time, judges and bureaucrats order the closure or demolition of unrecognized low-cost schools. For these reasons, private schools, while often superior to their public counterparts, are still not able to provide the best possible educational choices for the poor. Learning outcomes in low-cost private schools are marginally better than the public counterparts, but there is a high level of variation across schools, and no guarantee of high quality education.

Despite these roadblocks, enrolment in private schools is still overtaking enrolment in free government schools. How would a world function where these roadblocks were eliminated and a thousand private schools could bloom? If the liberalization of other sectors in India is used as an example, one can expect a drastic increase in quality, decrease in price, and innovation. Indians went from waiting for years to get a phone connection, to becoming the country with the highest number of cellular connections. In addition to improvements in both quality and price, liberalization also provided Indians with a lot of competitive choices in each market through innovation. This is exactly what we need in education—high quality, low price, and innovation and experimentation in the education system.

The first step in liberalizing the education sector is to allow for-profit schools. While the profit motive has gained recognition in post-liberalization India, most believe that “important” and “sacred” sectors like education should be protected from the profit motive. Even in the current non-profit system of providing private education, private schools are the preferred option for parents. The increase in demand for private education in India can be met more successfully if educational institutions can profit.

The typical argument against

allowing for-profit schools is to protect parents from self-interested capitalists. Indian parents and their children do not need protection from profit-making schools. The crucial element in the operation of for-profit schools, is that the fear of losses (i.e. losing students) is the greatest impetus to provide quality education to students. These sensible and pragmatic parents understand the high stakes involved and will abandon a bad for-profit school by taking their hard-earned money to a better alternative. They have already demonstrated this wisdom by exiting the free government school system.

The cost of not sufficiently educating the next generation is enormous. And each year India waits for government schools to improve, millions of Indians lose the opportunity to learn, earn a livelihood, and prosper. In a decade or two, if these children remain uneducated and jobless, India will witness great social inequity and chaos. Indian parents and their children deserve a real chance to access quality education of their choice.

The government imposes very costly hurdles to “recognize” a private school. Once recognized, it frequently nationalizes 25% of the enrolment for socially and economically backward students under the Right to Education Act. And from time to time, judges and bureaucrats order the closure or demolition of unrecognized low-cost schools.

By liberalizing education, India can unleash the imagination and innovation of 250 million children joining the workforce in the next two decades. Failing to do so will set the foundation for the greatest disaster India will face. If we don’t allow schools to profit, our children will bear the losses.







# UNEASE OF DOING 'BUSINESS':

## What it takes to open and run a private school in India

ARIHANT PAWARIYA

Senior Editor, Swarajya

**T**he Narendra Modi government is seized of the importance of ensuring the ease of doing business in the country and rightly so. Since 2015, it has taken a series of concerted reforms to climb on the World Bank's annual rankings. The country's big jump from 142 to 100 in just three years is testament to the government's efforts.

A similar if not more urgent initiative is required in facilitating the ease of opening and running a private, unaided school. Though many may frown upon labelling education as a business, but this is all the more reason to show urgency in liberalising the norms and regulations governing the establishment and administration of private schools. As India's middle class is expanding, millions of children are leaving government schools and opting for private ones. With time, this trend is likely to get stronger as more and more parents become financially empowered enough to afford private schools.

However, since the passage of the Right to Education (RTE) Act, ease of opening and running a school has become a nightmare.

On the digital and print pages of Swarajya, this writer and others have spilled enough ink detailing the ills ailing the RTE Act. We have repeatedly criticised the policy of keeping minorities out of ambit of the act in toto; important sections like number 12 that mandates 25 per cent quota for students from disadvantaged groups/weaker sections in private unaided non-minority schools; section 13 that bars any kind of screening for admitting students; section 16 which allows mandatory promotion to the next class irrespective of the performance and learning; and so on.

However, one important aspect of the act that has escaped the much needed scrutiny is the set of regulations surrounding the recognition of a school which is the fundamental requirement to run a school. Sections 18 and 19 of the RTE deal with rules and restrictions in this regard.

These state that no private school shall be established or run without obtaining a certificate of recognition from the appropriate government authority on fulfilling certain norms and standards as laid out in the Schedule in such form and manner, within such period, and subject to such conditions as laid out in rule 11 and rule 12 of "Model Rules Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009".

What are the norms and standards set out in the Schedule? First, the minimum number of teachers a school must have from classes I to VIII depending on the strength of the class. Second, the building requirements (kitchen, playground, number of classrooms, etc). Third, minimum number of working days in a year. Fourth, minimum number of working hours per week for the teacher. Fifth, use of teaching aid for each class. Sixth,

library. Seventh, play material, games, and sports equipment.

What do the rule 11 and 12 of Model Rules say? After conforming to the above norms, every school has to fill out Form 1 declaring that:

1. the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;
2. the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
3. the school conforms to the values enshrined in the Constitution
4. the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
5. the school is open to inspection by any officer authorised by the state government/local authority;
6. the school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the state government/local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school

Sachin Tendulkar's school Shardashram Vidyamandir wanted to amend affiliation board from SSC to ICSE for Class 1 to Class IV and also wanted to change its name. Both the requests were dismissed by BMC officials stating that it has given NOC for SSC board till 2020 so it must continue with the same!



Apart from these, there are eight tables of details to be filled in Form 1 such as:

D. Enrollment Status			
	Class	No. of Section	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I – V		
3.	VI – VIII		

E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions			
	Room	Numbers	Average Size
1.	Classroom		
2.	Office room – cum – Store Room – cum – Headmaster Room		
3.	Kitchen – Cum – Store		

F. Other Facilities			
1.	Whether all facilities have barrier free access		
2.	Teaching Learning Material (attach list)		
3.	Sports & Play equipments (attach list)		
4.	Facility books in Library • Books (No. of books) • Periodical/Newspapers		
5.	Type and number of drinking water facility		
6.	Sanitary Conditions		
	(i) Type of W.C. & Urinals		
	(ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Boys		
	(iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls		

G. Particulars of Teaching Staff		
1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)		
Teacher Name	Father/Spouse Name	Date of Birth
(1)	(2)	(3)
Academic Qualification	Professional Qualifications	Teaching Experience
(4)	(5)	(6)
Class Assigned	Appointment Date	Trained or Untrained
(7)	(8)	(9)
2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)		
Teacher Name	Father/Spouse Name	Date of Birth
(1)	(2)	(3)
Academic Qualification	Professional Qualifications	Teaching Experience
(4)	(5)	(6)
Class Assigned	Appointment Date	Trained or Untrained
(7)	(8)	(9)
3. Head Teacher		
Teacher Name	Father/Spouse Name	Date of Birth
(1)	(2)	(3)
Academic Qualification	Professional Qualifications	Teaching Experience
(4)	(5)	(6)
Class Assigned	Appointment Date	Trained or Untrained
(7)	(8)	(9)





Then the District Education Officer (DEO) carries out an inspection to see if the requirements have been met and give the certificate of recognition. However, it is temporary, valid for three years and is for primary classes i.e. up to standard VIII. For higher classes, there are separate, and similar taxing rules. Those who run schools without obtaining a certificate of recognition can be fined up to Rs 1 lakh and Rs 10,000 per day.

As if these onerous requirements, especially the ones highlighted in preceding paragraphs, were not enough, it is pertinent to note that these are merely those mandated by the central act. The states have their own, additional layers of regulations. Most prominent of these is 'Essentiality certificate' aka the 'no objection certificate' awarded by the state government's Department of Education every five years.

Even bye-laws of central boards like the CBSE insist on this prized possession as preliminary necessity before giving affiliation to schools. On top of all this, there are permissions and plans - building, health, water, land use permitted, etc - to be sought from municipality.

The situation is so bad that even elite schools with decades of reputation of delivering great service and education have to face extreme levels of bureaucratic red-tapism. Sachin Tendulkar's school Shardashram Vidyamandir wanted to amend affiliation board from SSC to ICSE for Class 1 to Class IV and also wanted to change its name. Both the requests were dismissed by BMC officials stating that it has given NOC for SSC board till 2020 so it must continue with the same! How dare the school thought that improving students' learning ability (by changing the board as saw fit by the school) was more important than asking busy BMC officials to fill out another form.

If this is the condition for established players who can be

treated in such a manner by a municipal corporation, one can imagine what effect they will have on genuine players willing to enter the field. The regulations can induce bouts of trauma into even the most spirited of edupreneurs.

The language of the RTE Act and other rules indicates that the State is more concerned with reigning in the growth of private schools than facilitating right to education for everyone in reality.

While the regulations provide for elaborate monetary punishments which can even lead to closure of the school for not getting the recognition, there is no penalty on the government officials for their failure in giving the certificates in time even when schools meet all formalities. The Haryana government is yet to grant recognition for around 3,200 private schools operating since 2003 in the state. Without recognition they can't even apply to the Haryana board for affiliation. Wonder why no act penalises the government, say Rs 10,000 per day per school, for each day's delay in granting recognition (or rejecting it as the case may be)? Even if these schools are given recognition, it will only be for a year. The situation is similar in Odisha and Kerala too. Thousands of schools in the country go through such penance every year with the sword of 'threat of closure' hanging over their heads.



Also, the government can announce any new set of additional arbitrary conditions as the Uttar Pradesh government did recently when it made it mandatory for all schools to install CCTVs and biometric machines for attendance to seek recognition from the UP board.

And if the schools protest, the government can pass an order ruling that agitating against the government can lead to withdrawal of recognition as the Chandigarh education department did this year.

Such a regime is bad enough for any business. It's suicidal to have it in private education sector which is the only hope left for the lower middle class and poor to climb up the social and economic ladder. Every day we continue with this system, we are inflicting great damage to the students from the lower strata of our populace who are disproportionately enrolled in the failed government schools. In its zeal to put a leash on private schools in the name of curbing profiteering, what the government has achieved is monopoly of those who are now experts at gaming the system through underhanded ways and means. The genuine educationists and philanthropists dare not enter the market.

What can the Modi government do? For starters, it can launch national 'ease of opening and running a school' rankings. Second, it can reform the norms and procedures needed for recognition mentioned in the schedule at the back of the RTE Act. It can be done by a simple government notification as section 20 of the act mandates. There is no need for ratification by the Parliament.

To realise the goal of universal quality education, which is affordable too, the state must facilitate proliferation of private schools leading to competition. This will do more to curb profiteering than any fee regulation act ever could.



# Envisioning a model school - Straight from the fountainheads

## STAKEHOLDERS' SPEAK



**SHRADDHA JHA**  
Consultant & Trainer

Shraddha is an Independent Education Consultant working closely with schools under NISA to build a conducive environment for adoption of the best practices prescribed in the Quality Charter. She has conducted over five trainings and workshops in Delhi, Ambala, Vijaywada and Hyderabad catering to School Leaders and teachers from eight states.



**BRIJESH KAPIL**  
Assessor

Brijesh is the school manager for Divine Glory Public School in Ambala, Haryana and has already conducted two assessments as a NISA Assessor.

In a conversation with our NISA team members, Shraddha Jha and Brijesh Kapil share their experiences of working with budget private schools and stakeholders, specifically school leaders and teachers, where one conducts workshops to equip school quality assessors and the other is a school manager & assessor in Haryana.

### How do you visualize a Model School?

**S** A school that inspires children to dream without any biases and equips them to achieve their dreams is a Model School or a Centre of Excellence. The transforming narrative of an ideal school goes beyond the minimum expectations of quality infrastructure and learning levels. This is not to undermine the importance of academic outcomes; nevertheless, the focus of Model School should be on developing values, attitudes and skills in order to prepare children for 21st-century skills and nurture them to become exemplary global citizens.

**B** A model school, as the name explains, should be a school equipped with the latest technology and methodology to make students future ready. It should provide students with an atmosphere of equality, irrespective of caste, creed, race, religion and gender. It should develop self-confidence, leadership qualities and life skills among students. It should involve all stakeholders (parents, teachers and students) while planning different aspects of the school. It should ensure the safety of its students and teachers.

### Quality Charter

The Quality Charter is a comprehensive framework which defines quality for budget private schools in NISA network under five themes (dimensions) broken into 58 measurable indicators.

### Self-Assessment (SA)

It is a diagnostic tool available as a multiple choice questionnaire in online and 2 page offline format. The SA Tool allows School Leaders to evaluate their school's adherence level on 33 indicators across the five dimensions.

### Third Party Assessment (TPA)

Third Party Assessment is conducted by NISA certified assessors through an on-site visit to the school. Independent objective assessment is done to identify best practices and provide recommendations for improvement.



## How do you think NISA can build Quality Schools or Model Schools?

**S** NISA, as a part of its quality initiative, is building awareness amongst its member schools about what it means to be a model school. It is in a unique position to positively influence schools with its access to a huge network and tools under Quality Charter (QC). We conducted four pieces of training, with an overall participation of nearly 150 school leaders and teachers, to orient them on the QC parameters.

As part of the process, schools can improve quality with the interventions, appropriate guidance and support provided by NISA quality initiative. Their success will

enable NISA to create a ripple effect and motivate other schools to strive for excellence. For a scale as that of NISA, a movement is required and the success of the early adopters (schools) can be leveraged to achieve NISA's vision of making systemic impact.

**B** I appreciate the initiative taken by NISA to develop 100 Model schools in India as the government seems unable to cater to the educational needs of children after spending a huge amount on education throughout the country. NISA works for the all-round development of children including 21st-century skills.

## Your experience of working with school leaders and teachers: Achievements, Challenges, What stands out?

**S** BPS has its own complexities, however, school leaders and teachers are similar to those in the non-budget private schools, and share a vision for their school and students. Teachers also work with similar passion as I have observed during training and assessments. The enterprising leaders are receptive to new ideas and avail services from education providers as per their priorities and affordability. Even during training, they are keen to enrich themselves with knowledge of best practices. Despite financial struggles due to low fee and regulatory restraints, the leaders have a strong appetite for technology, innovative pedagogy and curriculum.

However, since teachers are the ones who facilitate the interventions, it is necessary to get teachers' buy-in to the process. Due to years of traditional teaching style and lack of familiarity with technology, it might be difficult

to extract the best results from the teachers. Hence, motivating teachers & leaders and being sensitive to their challenges is important for any intervention to work.

**B** All school leaders develop their schools as per the need of their locality. The common thing among all school leaders is that everyone wants better academic results because a majority of parents assess schools by academic results only. On the other hand, teachers working in BPS bear more burden than teachers of government schools. As the expectations of parents are very high, they want the betterment of their child in all spheres, but most of them don't want to contribute.

After facing so many challenges, private schools are showing better results. It's critical that parents cooperate with teachers for their child's development.

## Having so much exposure with BPS on the field, what do you think needs to shift: At school level and at policy level?

**S** Education is key to improved quality of life, whether it's for a happy family or for a peaceful society and nation. To overcome the challenges of the sector, it is essential that all stakeholders collaborate and work in tandem. Parents, being the decision maker, are critical stakeholders in the ecosystem and should be viewed as partners. Though the aspirations of parents do not differ, socio-economic background vastly differs vis-a-vis non-BPS segment and therefore it calls for higher engagement with parents. The school needs to orient parents to garner requisite support for children as well as share responsibility and accountability by involving them in quality-focused activities. School leaders can play a vital role in this shift.

At a policy level, it is imperative to invest in teachers to improve the quality in schools. Teachers are the

foundation on which the entire education system is based. Therefore, we need to create an ecosystem that respects their profession, attracts best quality resources, assures continuous training & support, promotes best practices and lastly recognises and celebrates achievements for a large scale impact.

**B** Schools need to follow a holistic curriculum to inculcate 21st-century skills and moral values. Schools should make arrangements for regular training of teachers and management to develop skills at different levels.

The government should think about making new policies for education that promote practical learning methods instead of rote learning.



# DCM group of schools: A story of indomitable human spirit

RAKHI THAKUR

Principal, DCM Sr Sec School, Punjab



Situated on the north-west border of India lies the town of Ferozepur, founded in the 14th century by Firozshah Tuglaq of Sultanate period. This ancient town saw a new light of hope and possibilities for a better future when a passionate educationist Mr M. R. Dass first thought of establishing an educational institution there.

The DCM Group of Schools works on the ethos and vision of Mr Dass and education as 'a means to emancipate' for its present flag-bearers.

Founded in 1946, the first initiative of the DCM Schools, the

DCM Senior Secondary School, is a centre of academic excellence. Here students are exposed to the best learning environment that fosters creativity, experimentation, exploration and reflection. Emphasis on flipped classes, experiential learning and STEM education makes the school a towering figure in the educational landscape of the region, promising excellent board results and selection of a large number of students in premier professional institutes and universities every year.

DCM Schools believe in the dictum of creating 'a happy school'





and is working incessantly to build one for all the stakeholders- the students, the teachers and the parents. The approach is simple- the child's physical, emotional, social and psychological well-being is above everything.

A timid child, confused about his own abilities and interests and burdened with assignments and projects will neither gain the confidence and skills required to live a happy life nor will he be able to contribute to the nation as a productive workforce.

Unquestionably, the best a school can do is to help a student realise what lies within him and build an ecosystem to support him. A fear-free, uplifting and empathic learning environment is what brings out the best in a student. DCM Schools insist upon these. Homework assignments are balanced, allowing sufficient time and space to the child and are never a mere repetition of classwork. The parental support and feedback further enable the school to review and revamp its policies.

#### Our Initiatives:

- Integration of activity-based teaching
- Balanced involvement of technology into the curriculum
- Use of theatre as a powerful medium of instruction
- Introduction of age-specific reading sessions during the formative years of schooling
- Interdisciplinary projects based on experiential learning
- Formation of a physical environment that promotes learning
- Community Outreach Programme creating sensitive, socially aware and responsible citizens

The success of DCM Schools as leading educational institutions relies largely on their well-trained and highly motivated teachers. They are in sync with the school's policies and work towards giving them a practical shape. The Group invests heavily in empowering and equipping teachers with practical knowledge and innovative methodologies. Driven by the zeal to promote initiatives, the group rewards the best teachers every year, motivating all others to give their best. Needless to say, the collective efforts of the school management, teachers and the parents have helped the schools win nationwide recognition and accolades from several esteemed agencies.

DCM Group of Schools has been able to wade through all the odds despite being under the radar of many government and non-government organizations. Successfully owing to its focused and innovative approach to quality education, the DCM school team is shaping its students to be aware and awakened world citizens.



A fear-free, uplifting and empathic learning environment is what brings out the best in a student. DCM Schools insist upon these.



# Schools educate, we add health



## AddressHealth Education

A workbook-based health education program for schools

- Focused on health and behavior skills
- Designed by public health experts, pediatricians, psychiatrists, doctors, dentists and psychologists
- Delivered by health professionals
- Covers students from Class 1 to 8
- Conducted through eight sessions spread over one academic year
- Health talks for parents, teachers and students

**Our services:** Medical Room, Health Education, Health Check & Nurturing Schools Program.

Operating in: Bangalore | Delhi | Hyderabad | Pune  
T: +91-80-22444232 | [www.addresshealth.in](http://www.addresshealth.in)  
[info@addresshealth.com](mailto:info@addresshealth.com) | Follow us on:      
Toll Free: 1800 425 9355

 **addresshealth**  
Healthy children. Happy children.



# Doctors as Teachers: Good health made infectious in schools

*“Schools are not to teach how to earn a living, but to teach how to live”*

*It's just past noon at the Archangels High School in Bandlaguda, Hyderabad. The students of class 5 are listening to a story about Rakhi – another class 5 student, who has begun to feel tired quickly. “Have you heard of anaemia?” asks the teacher, “It can affect how you learn, grow and play.” she explains.*

**Meet Dr Raksha, a medical doctor who is also a school health teacher. She is a part of AddressHealth, India's leading school health provider that offers a workbook-based curriculum for health education in schools.**

## Health education in schools



The need of health education in primary schools lies in providing young learners with the knowledge and skills required to lead a healthy, productive life. Healthy students

learn and play better. The academic approach to health education followed by schools defeats the very purpose of it. A health curriculum designed and delivered by health professionals with focus on practical knowledge and behaviour change can create a bigger impact on young learners.

## Doctors as health teachers in schools



The workbook based health education programme of AddressHealth is delivered by Health professionals. This ensures that accurate, relevant and practical skills are imparted to students. The eight periods spread out over one academic year aims at shaping both individual and group values about health in students from classes one to eight. Parents appreciate our effort, making it easier for school managements to introduce the health education curriculum in their schools.

## NISA National and State Activities

**15 JULY  
NEW DELHI**

**17-18 JULY**  
CII Northern Campus,  
**CHANDIGARH**

NISA New Office Ceremony

**11 AUGUST**  
Vijayawada Ford Hall,  
**ANDHRA PRADESH**

NISA participated as an event partner in CII Conference

**13 AUGUST**  
Katha Organization, Adichini,  
**NEW DELHI**

NISA APUSMA Andhra State meeting

Meeting with Dr Geeta, Founder, Katha organization on 300 Million world reader campaign .

**5 SEPTEMBER**  
Black Day  
**NEW DELHI**

Private schools across the country observed BLACK DAY against increasing government intervention in over 60000 unaided private schools' including State, CBSE and ICSE boards.

Meeting with Sujeet Kumar, OSD cum special secretary state planning board about the challenges faced by Budget Private Schools.

**30 AUGUST**  
Secretariat, Bhubaneswar,  
**ODISSA**

NISA President Kulbhushan Sharma addressed the participants on importance of 21<sup>st</sup> Century Skills in Education System

**1 - 2 SEPTEMBER**  
**CHANDIGARH**

NISA President Kulbhushan Sharma attended Merit Scholarship Award ceremony organised by CED and Amar Ujala

**22 SEPTEMBER**  
Merit Scholarship Award,  
Hathras  
**UTTAR PRADESH**

Meeting with Sh Prakash Javadekar, Education Minister, MHRD. Discussed about extending the National Institute of Open Schooling exam for untrained in-house teachers.

**11 SEPTEMBER**  
**NEW DELHI**



Delhi, UP, MP, Bihar, Assam, Nagaland, Rajasthan, Gujarat, Kashmir, Himachal, Punjab, Haryana, Chandigarh, Maharashtra, Telangana, Andhara, Kerala, Tamilnadu had maximum participation.



Also discussed the opportunity to collaborate on Go green project to NISA schools.







## CARTOON OF THE EDITION



# NISA Association Members



**MR KRISHNA REDDY**

Andhra Pradesh  
Unaided Schools  
Management  
Association,  
ANDHRA PRADESH



**MR PANKAJ DAS**

All Assam Private  
Schools Association,  
ASSAM



**MS NANDITA MISHRA**

Byktigata Vidyalaya  
Samannayrakshee,  
ASSAM



**MR PRADEEP SHUKLA**

Chandigarh Private  
Schools Association -  
Village,  
CHANDIGARH



**MR H S MAMIK**

Independent  
Schools Association,  
CHANDIGARH



**MR RAJESH MALHOTRA**

Delhi Independent  
Schools Association,  
DELHI



**MR PREMCHAND DESWAL**

Private Land Public  
Schools Association,  
NEW DELHI



**MR ABBAS ALI**

Unaided Recognised  
School Welfare  
Association, DELHI



**MS APARNA PARLEKAR**

All Goa Government  
Recognized Unaided  
Schools Association,  
GOA



**MS EKTA SODHA**

Jamnagar Private  
Schools Association,  
GUJARAT



**MR DEEPAK RAJGURU**

Self Finance School  
Management,  
GUJARAT



**MR KULBHUSHAN SHARMA**

Federation of Private  
Schools Association,  
HARYANA





**MR RAVI AZTA**

Himachal Pradesh Private  
Schools Management  
Association,  
HIMACHAL PRADESH



**MR AJAY GUPTA**

Joint Committee of  
Private Schools,  
JAMMU



**MR SHASHI KUMAR**

KAMS-Associated  
Management of English  
Medium Schools,  
KARNATAKA



**MR G N VAR**

Joint Committee of  
Private Schools,  
KASHMIR



**MR RAMADAS KADIRUR**

All Kerala Self Financing  
Schools Federation,  
KERALA



**MR SUNIL OLIYA**

Gwalior Private Schools  
Association Samiti,  
MADHYA PRADESH



**MR ANIL DHUPUR**

Unaided CBSE  
Schools-Indore,  
MADHYA PRADESH



**MR RAJENDRA SINGH**

Independent English  
Schools Association,  
MAHARASTRA



**MR. BHARAT MALIK**

Private Unaided  
Schools Management  
Association,  
MAHARASTRA



**MR BITHUNGO KIKON**

President,  
All Nagaland Private  
School Association



**MR KULWANT RAI SHARMA**

Recognized and  
Affiliated Schools  
Association Jalandhar,  
PUNJAB



**MR KULVIR CHAND**

Punjab Independent  
Schools Alliance,  
Nakodar, PUNJAB





**MS HEMLATA SHARMA**

School Kranti Sangh,  
Jaipur, Rajasthan



**MR KODARAM BADHUR**

Private Schools  
Association, Bikaner,  
RAJASTHAN



**MR SATHIAMOORTHY**

Association of  
Private Schools  
Management CBSE,  
TAMIL NADU



**MR MARTIN KENNEDY**

Tamilnadu Nursery  
Primary & Matric  
Higher Secondary  
School Managements  
Association



**MR MADHUSUDHAN**

Telengana Recognized  
Schools Management  
Association,  
TELENGANA



**MR ATUL SRIVASTAV**

Association of Private  
Schools- Lucknow,  
UTTAR PRADESH



**MR SUSHIL GUPTA**

President, Association  
of progressive schools  
of Agra,  
UTTAR PRADESH



**MR PRAVIN AGARWAL**

Public School  
Development Society -  
Aligarh,  
UTTAR PRADESH



**MR SURESH CHAND RAMOLA**

Private Schools  
Management  
Association,  
UTTARAKHAND



**MR ANIL CHOPRA**

C.B.S.E Affiliated Schools  
Association, Jalandhar,  
Dobha

## NISA MEMBERSHIP FORM

### BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- ▶▶ Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- ▶▶ Opportunity to spread awareness about the need for associations
- ▶▶ Reputation-building for the association at a national and international level
- ▶▶ Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- ▶▶ Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- ▶▶ Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- ▶▶ Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- ▶▶ Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- ▶▶ Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

### NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number:  E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)

Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org



## NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

### SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number:  Email ID:

Address:

Pin Code:  Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: ☐ Cheque: ☐ Net Banking: ☐

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920

Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019

IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500

For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500

For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456

# नामस्कार

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 4 ISSUE 2 | JUL-AUG-SEP 2018

मैं शिक्षक हूँ,

अपराधी नहीं

शिक्षा | सुरक्षा | सम्मान

एक लड़ाई निजी स्कूलों के शिक्षकों और प्रबंधन की  
सुरक्षा के प्रति भेदभाव वाले दृष्टिकोण के खिलाफ  
#BlackDay



# ENTRIES OPEN!

## EduDoc STORIES OF EDUCATION INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

**THEME** Education: Regulatory Challenges, Innovations & Solutions



Under  
5 Minutes



No  
Entry Fee



Use Any  
Equipment



International  
Participants Invited



Best 5 to be Screened at 10<sup>th</sup> School  
Choice National Conference 2018



**BEST  
Film**  
₹40,000

**2nd  
BEST  
Film**  
₹30,000

**3rd  
BEST  
Film**  
₹10,000

**EduDoc Fellow  
BEST  
Film**  
₹25,000



+91-11 4162 9006, 2652 1882, 2653 7456 Ext: 46  
[www.jeevika.org/edudoc-2018](http://www.jeevika.org/edudoc-2018) | [jeevika@ccs.in](mailto:jeevika@ccs.in)



An initiative of



Centre for  
CIVIL  
SOCIETY  
Social Change through Public Policy

Hindi online  
media partner



With support from



An Edelweiss Initiative

Freiheit Ka Amrit Mahotsav  
STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

# विषय सामग्री



04  
मैं शिक्षक हूँ, अपराधी नहीं



14  
स्कूलों को मुनाफा अर्जित करने की मिले अनुमति



22  
डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स: अदम्य मानव भावना की एक कहानी

संपादकीय

02 बेटियों को बचाने और पढ़ाने से लेकर प्रताड़ित और शर्मिंदा करने तक का सफर - अविनाश चंद्र

प्रेसिडेंट का सन्देश

04 मैं शिक्षक हूँ, अपराधी नहीं - कुलभूषण शर्मा

06 ब्लैक डे की गतिविधियां

निसा पार्टनरशिप

09 नए अनुबंध, नई सरहदें - देश अपनाएं और निसा - दीपा नटराजन

शिक्षा

10 भारत के सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष घट रही है लाखों छात्रों की संख्या, क्यों? - तुषार गुप्ता

14 स्कूलों को मुनाफा अर्जित करने की मिले अनुमति - श्रुति राजगोपालन

16 सहयोगियों के विचार - श्रद्धा झा व बृजेश कपिल

18 व्यवसाय करने की 'सुगमता': भारत में प्राइवेट स्कूल खोलने और चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता - अरिहंत पावरिया

22 डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स: अदम्य मानव भावना की एक कहानी - राखी ठाकुर

25 अध्यापकों के रूप में डॉक्टर: अच्छे स्वास्थ्य का व्यापक प्रचार किया गया - डा. आनंद लक्ष्मण

निसा संवाद

26 निसा के कार्यक्रम

28 सुर्खियां

28 तीखी मिर्ची



National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of Budget Private Schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

20 States, 39 Associations

55,000+ Schools,

22,00,00,000+ Students

Become a member today! Join NISA

[/nisaindia.org](https://www.nisaindia.org) [/nisaedu](https://www.nisaedu.org)

National Independent Schools Alliance

वार्षिक सبسक्रिप्शन

500रु. चेक/ड्रॉप्ट, NISA Education  
के नाम दें

संपादकीय कार्यालय

ए-69, हौज खास

नई दिल्ली — 110016

दूरभाष: 011 26537456

वेबसाइट: [www.nisaindia.org](http://www.nisaindia.org)

सبسक्रिप्शन व अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें: [nisa@nisaindia.org](mailto:nisa@nisaindia.org)

# बेटियों को बचाने और पढ़ाने से लेकर प्रताड़ित और शर्मिंदा करने तक का सफर

अविनाश चंद्र  
संपादक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पक्षपाती लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं के अस्तित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना था। इसके लिए 100 करोड़ रूपए के आरंभिक कोष का प्रावधान भी किया गया। शुरु में इस अभियान के फायदे भी देखने को मिले। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुए 'सेल्फी विथ डॉक्टर' और इसे मिले व्यापक जनसमर्थन ने पिछड़े व ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को भी विश्वास से ओत प्रोत किया। महिलाएं घरों से बाहर निकलने लगीं और स्वरोजगार के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां कर अपने पैरों पर खड़ा होने लगीं।

चूंकि देश में अब भी महिलाओं के लिए टीचिंग का कार्य सर्वाधिक उपयुक्त और सुरक्षित समझा जाता है इसलिए पढ़ी लिखी अधिकांश महिलाओं ने शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान देना शुरू किया। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खुले छोटे-छोटे बजट स्कूल काफी सहायक सिद्ध हुए। स्कूलों को जहां छोटे बच्चों को ममत्व के साथ पढ़ाने और देखभाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापिकाएं मिलने लगीं वहीं महिलाओं को भी आसानी से स्वावलंबन का जरिया मिलने लगा। बड़ी तादात में महिलाओं ने अपना स्वयं का स्कूल शुरू कर क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिया। एक उम्मीद के मुताबिक देश में लगभग पांच लाख बड़े व छोटे निजी स्कूल हैं जिनमें लगभग 50 लाख महिला शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं।

मोदी सरकार व्यापक तौर पर इसका क्रेडिट ले पाती और 2019 के लोकसभा चुनावों में इसे भुना पाती इससे पहले ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहित राज्य सरकारों

के अदूरदर्शी फैसलों ने इसमें पलीता लगा दिया। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में मीडिया ट्रायल के दबाव और जन-संवेदना हासिल करने के नाम पर सीबीएसई और राज्य सरकारों द्वारा आनन फानन में तमाम 'सेपटी गाइडलाइंस' जारी कर दिए गए।

जिनमें स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र हासिल करने की अनिवार्यता सर्वाधिक विवादास्पद रही। सत्यापन के लिए पुलिस इन महिला शिक्षकों के घर जाने लगी या उन्हें थाने बुलाया जाने लगा। किसी महिला के घर विशेषकर ग्रामीण परिवेश में किसी महिला के घर पुलिस का आना अथवा महिला का थाने जाना चर्चा का विषय बन जाता है। इस माहौल में तमाम शिक्षिकाएं पढ़ाना छोड़ घर बैठना ज्यादा उचित समझने लगीं। इस 'गैरजरूरी' फैसले ने एक तरफ जहां महिला शिक्षकों को प्रताड़ित और शर्मिंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी वहीं उनकी प्रतिष्ठा का हनन भी किया।

इस घटना के बाद से शिक्षकों-प्रधानाध्यापकों के साथ छात्रों व उनके परिजनो के द्वारा हिंसा किए जाने व हत्या तक को अंजाम दिए जाने की घटना में भी तेजी देखने को मिलने लगी। लिंगानुपात व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अत्यंत संवेदनशील हरियाणा और यूपी में स्कूल परिसर के अंदर प्रधानाध्यापिका को गोली मारने जैसी घटनाएं बढ़ने लगीं। यहां तक कि राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन की शह पर पुलिस को भी स्कूल संचालकों और प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की अधोषित छूट मिल गई। स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की घटना-दुर्घटना होने पर स्कूल संचालकों और प्रधानाध्यापकों (आमतौर पर महिलाएं) को जेल भेजने की घटना आम हो गई है। दिल्ली, महाराजगंज, फैजाबाद, इंदौर, हरियाणा आदि के स्कूलों की घटनाएं महज उदाहरण भर हैं।





कई घटनाओं में स्थानीय दबंग व 'पहुंच' रखने वाले प्रतिस्पर्धी स्कूल संचालकों द्वारा पुलिस के साथ मिलीभगत कर दूसरे स्कूल संचालक को फंसाने जैसे आरोप भी सुनने को मिल रहे हैं।

दरअसल, एक बार यदि किसी स्कूल के संचालक और प्रधानाध्यापक को जेल भेज दिया जाए तो इलाके में उसकी बदनामी हो जाती है और अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल से निकालना शुरू कर देते हैं जिससे स्कूल बंद हो जाता है और प्रतिस्पर्धी स्कूल को फायदा हो जाता है। स्कूल की फीस न चुकाने वालों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया है। स्कूल द्वारा फीस मांगने पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाना अब फैशन बनता जा रहा है। हाल ही में बजट स्कूलों के अखिल भारतीय संगठन निसा

द्वारा ऐसे कृत्यों और पूर्वाग्रही प्रशासनिक कार्रवाइयों के विरोध में देशभर में 'ब्लैक डे' मनाते हुए शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया गया। केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधित विभागों को मांगपत्र भी सौंपा गया। अच्छा हो यदि सरकार समय पर चेत जाए और शिक्षकों व स्कूल संचालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिकायत की दशा में बिना जांच जेल भेजने व वास्तविक अपराधी के खिलाफ ही कार्रवाई करने, गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने जैसे कड़े कदम उठाए। ऐसा न हो कि एससी-एसटी बिल, आरक्षण आदि मुद्दों के साथ देशभर में अध्यापिकाओं व स्कूल संचालकों का असंतोष 2019 की मुहीम के राह में बड़ी खाई बन जाए।

लिंगानुपात व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अत्यंत संवेदनशील हरियाणा और यूपी में स्कूल परिसर के अंदर प्रधानाध्यापिका को गोली मारने जैसी घटनाएं बढ़ने लगीं। यहां तक कि राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन की शह पर पुलिस को भी स्कूल संचालकों और प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की अधोषित छूट मिल गई।



### टीचर्स पुलिस वेरिफिकेशन कैंब और कहाँ

**सितंबर 2017**

सीबीएसई ने सर्वर्युलर जारी कर संबद्ध स्कूलों के सभी शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया।

**सितंबर 2017**

दिल्ली सरकार ने सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया।

**सितंबर 2017**

हरियाणा सरकार ने स्कूलों के सभी शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया।

**नवंबर 2017**

मुंबई में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र हासिल किया जाना अनिवार्य बनाया गया।

**जनवरी 2017**

जम्मू में सभी निजी स्कूलों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया।



कुलभूषण शर्मा  
प्रेसिडेंट, निसा

# मैं शिक्षक हूँ, अपराधी नहीं

हमारी मांग स्कूलों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कानून

भारत में, शिक्षा हमेशा व्यक्तियों और समुदायों के स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से समाज की ज़िम्मेदारी रही है। बतौर माध्यम, भारत में अंग्रेजी भाषा में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई। इससे शिक्षा के क्षेत्र में मानकीकरण का प्रवेश हुआ। स्वतंत्रता के बाद, सभी को शिक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई थी। राज्यों की कमजोर क्षमता और संसाधनों की सीमितता ने शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों में नामांकन की बढ़ती संख्या के तौर पर देखा गया है।

एक तरफ निजी स्कूल स्कूली शिक्षा में निष्पक्षता, दक्षता और गुणवत्ता लाने में योगदान देते रहते हैं वहीं दूसरी ओर, उनकी स्वायत्तता में तेजी से कटौती की जा रही है। सरकार मान्यता मानदंडों, प्रवेश प्रक्रिया, किताबों के चयन, पाठ्यक्रम का पालन करने, शिक्षकों की योग्यता, कर्मचारियों के वेतन और शुल्क संरचनाओं आदि के साथ स्कूलों के उद्घाटन और संचालन में दिशानिर्देशों को अनिवार्य करती है। शिक्षा के निजीकरण की खिलाफ वाली धारणा और नियमों का पालन करने में असफल रहने वाले निजी स्कूलों की कुछ घटनाओं ने इन स्कूलों से जुड़े शिक्षकों की पहचान को कलंकित करने का काम किया है।



स्कूलों की मुश्किलों में और ईजाफा किया है छात्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दे और इसकी जिम्मेदारी मढ़ने की घटनाओं ने। स्कूल परिसर में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए बिना किसी जांच के स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। स्कूल के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और प्रबंधन को आसानी से बलि का बकरा बना दिया जाता है और अनुचित जांच के आधार पर उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज मीडिया भी स्कूलों और इसके प्रबंधन को बिना किसी साक्ष्य और प्रमाण के अपराधियों की तरह प्रस्तुत करती है। इस दृष्टिकोण ने काम काज के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ही बदल दिया है। इससे शिक्षकों के उत्साह में कमी आयी है और मन में हर समय अपराधी बनाए जाने का डर बैठ गया है।

एक ऐसा देश, जहां शिक्षा के क्षेत्र में डा. राधाकृष्णन और सावित्रीबाई फुले जैसे शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों का गर्व के साथ अनुष्ठान किया जाता हो, उसी देश में शिक्षकों को सलाखों के पीछे देखना वास्तव में दुखदायी है। हम हमेशा मानव और बाल अधिकारों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम शिक्षकों के अधिकारों के बारे में बात करना भूल जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं घटित हुई हैं

जिनसे शिक्षकों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं। शिक्षकों को गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन का प्रयास कर रहे थे।

अब समय आ गया है कि हम स्कूलों के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक और प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा कानून बनाने की मांग गंभीर चर्चा और बहस के माध्यम से करें। इस संदर्भ में हमें देश भर से जो व्यापक समर्थन मिला है, वह इस अधिनियम की गंभीरता और आवश्यकता को दर्शाता है। 5 सितंबर 2018 को सभी उत्सवों और समारोहों का त्याग कर काला दिवस मनाने का वाक्या इस देश में शिक्षा और शिक्षकों की चिंतनीय स्थिति का सबूत है।

आइए सभी मिलकर  
शिक्षा | सुरक्षा | सम्मान!  
की लड़ाई लड़ें।

एक ऐसा देश, जहां शिक्षा के क्षेत्र में डा. राधाकृष्णन और सावित्रीबाई फुले जैसे शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों का गर्व के साथ अनुष्ठान किया जाता हो, उसी देश में शिक्षकों को सलाखों के पीछे देखना वास्तव में दुखदायी है। हम हमेशा मानव और बाल अधिकारों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम शिक्षकों के अधिकारों के बारे में बात करना भूल जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे शिक्षकों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।





# ब्लैक डे की गतिविधियां

## ब्लैक-डे की जरूरत क्यों?

- निजी स्कूलों के शिक्षकों की सुरक्षा में कोताही
- निजी स्कूलों पर तालाबंदी का खतरा
- छात्रों का भविष्य दांव पर





# शिक्षा बचाओ आभियान

शिक्षा । सुरक्षा । सम्मान





REGISTRATION OPEN

10<sup>th</sup>

SCHOOL CHOICE  
NATIONAL CONFERENCE

# Alternative Education

PHILOSOPHY, PRACTICE & POLICY

14 DEC 2018 10 AM - 6 PM

Silver Oak, India Habitat Centre,  
NEW DELHI



For details, visit: [www.ccs.in/education/SCNC2018](http://www.ccs.in/education/SCNC2018) Contact: [scnc@ccs.in](mailto:scnc@ccs.in) | +91-11-2653 7456 | +91-88003 44700

An Initiative of  
**Centre for  
CIVIL  
SOCIETY**  
2000 Change through Public Policy

In partnership with  
**NISA**  
National Independent Schools Alliance

With support from  
**EdelGive**  
FOUNDATION  
AN EDUCATING INITIATIVE

Online media partner  
**Azadi**  
360media  
www.azadi360.in



# नए अनुबंध, नई सरहदे

## - देश अपनाएं और निसा

दीपा नटराजन

कार्यक्रम प्रमुख, देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशननिसा



कैसा हो यदि हर भारतीय नागरिक लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के महत्व से परिचित हो? क्या हो यदि नागरिक अपने अधिकारों का दावा करने के अलावा अपने कर्तव्यों का पालन भी करें? क्या होता यदि नागरिक सरकार पर अपनी निर्भरता कम रखते और इसके बजाय खुद को "सतर्क, सूचित और सक्रिय" रखते?

'देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन' एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना श्री वल्लभ भंसाली द्वारा की गई है। वल्लभ भंसाली 'एनम ग्रुप एंड असोसिएट्स' के सह संस्थापक और चेयरमैन हैं तथा 'सतर्क, सूचित और सक्रिय' नागरिक तैयार करने के ध्येय को आगे बढ़ा रहे हैं। देश अपनाएं (डीए) का उद्देश्य व्यक्तिगत, स्कूल और कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर युवा नागरिकों को लोकतंत्र के बाबत शिक्षित करना और जागरूक व सक्रिय बनाना है।

देश अपनाएं फाउंडेशन का ध्येय नागरिकता, स्वयंसेवीवाद और आस-पड़ोस वाली विचारधारा जैसे तीन खंभों पर आधारित है। दिशा (डीआईएसएचए) नामक नागरिक शास्त्र की अत्यंत गतिशील पाठ्य सामग्री के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है पंजाब से लेकर तमिलनाडू तक फैले देश अपनाएं के 300 से अधिक साझेदार स्कूलों के छात्रों ने। इस पाठ्य सामग्री को आईसीएसई, सीबीएसई और एसएससी बोर्डों के पाठ्यक्रम के साथ

प्रासंगिक रूप से प्रतिचित्रित किया गया है। देश अपनाएं के साझेदार स्कूल नागरिकता क्लब (डीएसीसी) और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पड़ोस में प्रभावी परियोजनाएं चलाते रहते हैं। डीए अपने डीए पुरस्कारों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी के लिए स्कूलों और शिक्षकों को सम्मानित करता है।

डीए की भूमिका प्रभाव परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि अधिक विस्तारित और अधिक स्थायी है। इसका उद्देश्य 'उदासीनता से स्वामित्व' वाली भावना से जोड़ते हुए छात्रों की विचारधारा में परिवर्तन लाना है और इसके लिए उन्हें नागरिक शास्त्र और नागरिकता की महत्ता पर आधारित शिक्षा प्रदान कर उन्हें अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने के प्रति जागरूक किया जाता है।

देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलायंस (निसा) ने हाल ही में एक समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत भारत में सतर्क, सूचित और सक्रिय नागरिक वर्ग तैयार करने के लिए निसा के स्कूलों में नागरिक शास्त्र और नागरिकता से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। एमओयू के तहत विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और अत्याधुनिक शिक्षा पद्धतियों जैसे उपकरणों की सहायता से स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रकार देश अपनाएं कार्यक्रम को निसा के स्कूलों में लागू कराया जाएगा। यह साझेदारी शिक्षकों को उनके पेशेवर

विकास और करियर में प्रगति के लिए सही उपकरण के साथ सुसज्जित करेगी।

पंजाब के जलंधर के पास एक छोटे से गांव उग्गी में पहला अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही, देश अपनाएं ने न केवल भारत प्रत्येक उस कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जहां वास्तव में 'देश' (भारत) निवास करता है, बल्कि यहां के युवा नागरिकों के भविष्य को संवारने का बीड़ा भी उठाया है। निसा ने गांवों और स्कूलों की पहचान कर स्कूलों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रेरित व संगठित करने की समस्त प्रक्रिया का नेतृत्व करते हुए देश अपनाएं को उन तक पहुंचाने के कार्य को संभव बनाया है।

निसा के तत्वावधान में, देश अपनाएं छात्रों के जीवन से जुड़ने का काम कर रहा है। यह काम मार्केटिंग के किसी हथकंडे या राष्ट्रवाद के फैशन के तहत नहीं बल्कि दूर दराज के अंदरूनी इलाके में रहने वाले वास्तविक लाभार्थियों के जीवन में अतिआवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य के तहत किया जा रहा है। देश अपनाएं लक्षित समूहों की आवश्यकताओं और जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण पद्धति के विकसित कर रहा है। डीए के इस ताजा दृष्टिकोण में मस्ती से भरी ढेरों गतिविधियों व ड्रामा वाले खेलों को इस प्रकार सम्मिलित किया गया है ताकि सीखने के परिणामों के साथ समझौता किए बगैर नागरिक शास्त्र की मौलिकता का अभ्यास किया जा सके। उग्गी में उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने के पश्चात, हमने अपने प्रशिक्षण/ अभिविन्यास कार्यक्रम को और अधिक परिवर्तनशील बनाया है और हिंदी भाषा में प्रशिक्षित करने वालों को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण की इस पद्धति को गुवाहाटी, कुरुक्षेत्र, बरनाला, कैथल और फीरोजपुर आदि स्थानों के प्रतिभागियों द्वारा बड़ी स्वीकार्यता प्राप्त हुई है।

यह कार्यक्रम संबंध बनाने के क्षेत्र की ओर महज पहला कदम है जो देश अपनाएं नागरिकता क्लब और प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से स्कूलों के साथ गहन भागीदारी का कारण बन जाएगा।



# भारत के सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष घट रही है लाखों छात्रों की संख्या, क्यों?

तुषार गुप्ता

सीनियर सब एडिटर, स्वराज्य

वर्ष 2010-11 में, 4,435 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर 486 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इन सभी स्कूलों में 14,000 शिक्षक अधिक थे। और इन सभी 4,435 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या करीब शून्य थी।

वर्ष 2015-16 में, यह खर्च घटकर 152 करोड़ रुपये हो गया। शिक्षकों की संख्या घटकर 6,961 हो गई, यानि की इनकी संख्या में 50% तक गिरावट आ गई, जबकि सरकारी स्कूलों की संख्या में 5,044 की बढ़ोतरी हुई।

2010 से 2015 के बीच पूरे पांच साल में, सरकार ने ऐसे स्कूलों पर 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किया, जहाँ छात्र ही नहीं थे। शिक्षकों को ऐसी कक्षाएँ अटेंड करने के लिए वेतन दिया जाता रहा जिनमें कोई शिष्य ही नहीं थे। राज्यों ने वर्षों तक खाली कक्षाओं पर पैसे खर्च किए। ऐसे में न सिर्फ नियुक्त शिक्षकों की कुशलता बेकार गई, बल्कि तमाम राज्य सरकारों द्वारा ऐसे स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कोई उपाय भी नहीं किया गया जहाँ छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी।

दुख की बात यह है कि यह सिर्फ सरकारी स्कूलों की डूबती नईया का एक नमूना भर है, जो धीरे-धीरे सतह में धंसती जा रही है। चूंकि इन स्कूलों के बच्चों के सीखने का परिणाम खराब है, जैसा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2017 के आंकड़ों के द्वारा बयां होता है, वे अपने आप को प्राइवेट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में पाते हैं।

यह स्पष्ट है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के बेहतर अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं, छात्र-शिक्षक का अनुपात यहाँ बेहतर है, सीखने की प्रभावी पद्धति है, और बेहतरीन संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। यही वजह है कि माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में समान विस्तार के चलते, प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के स्कूलों के मुकाबले अधिक बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं।

जब बात सीखने के परिणामों की आती है, तब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे न सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों से आगे रहते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के अनुसार सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों का महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि गणित, विज्ञान और विभिन्न भाषाओं के मामले





राज्य स्तर पर सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों में छात्रों के नामांकन संख्या में परिवर्तन (2010-11 से 2015-16)

राज्य	नामांकित छात्रों की कुल संख्या						प्रति स्कूल औसत नामांकन					
	सरकारी स्कूल			निजी स्कूल			सरकारी स्कूल			निजी स्कूल		
	2010-11	2015-16	अंतर	2010-11	2015-16	अंतर	2010-11	2015-16	अंतर	2010-11	2015-16	अंतर
आंध्र प्रदेश*	6186492	5367402	-819090	4592255	4943739	351484	78	73	-5	185	196	11
आसाम	4082132	4140192	58060	998944	1013270	14326	92	83	-9	76	86	10
बिहार	19495910	21548010	2052100	404132	1812378	1408246	287	302	15	284	212	-72
छत्तीसगढ़	3808619	3281257	-527362	755632	1113912	358280	82	74	-8	166	188	22
गुजरात	5901456	5816280	-85176	2017575	3031588	1014013	176	172	-4	315	322	7
हरियाणा	2093700	1663752	-429948	1304015	2006442	702427	140	114	-26	235	270	35
हिमाचल प्रदेश	745712	580395	-165317	284026	370371	86345	49	38	-11	124	140	16
जम्मू कश्मीर	1213246	1024643	-188603	786400	832133	45733	55	44	-11	160	159	-1
झारखंड	5591346	4727894	-863452	928935	1508344	579409	138	117	-21	315	257	-58
कर्नाटक	4624287	4043609	-580678	2328793	3007783	678990	99	89	-10	227	230	3
केरल	1075886	859682	-216204	375084	1471373	1096289	217	188	-29	414	293	-121
मध्य प्रदेश	10634585	7979148	-2655437	4623450	4720051	96601	95	70	-25	195	174	-21
महाराष्ट्र	7418628	5937688	-1480940	2433975	3803480	1369505	108	88	-20	249	299	50
ओडिशा	5659929	5053711	-606218	599886	992117	392231	99	86	-13	138	176	38
पंजाब	2165466	2072324	-93142	1642518	1760579	118061	107	101	-6	162	225	63
राजस्थान	7132668	6264557	-868111	4736520	6073144	1336624	92	89	-3	177	163	-14
तमिलनाडु	4262160	4170562	-91598	3250332	3196288	-54044	118	109	-9	306	292	-14
उत्तर प्रदेश	19688240	16602404	-3085836	1E+07	17622294	7341849	130	103	-27	245	230	-15
उत्तराखंड	936630	757137	-179493	617344	886874	269530	54	43	-11	128	158	30
पश्चिम बंगाल	13484910	11193885	-2291025	1349964	1662095	312131	170	135	-35	132	131	-1
भारत(20 राज्य)	12,62,02,002	11,30,84,532	-1.3E+07	4,43,10,225	6,18,28,256	1,75,18,031	122	108	-14	202	208	6

में प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है। यह स्थिति तब है जब 'राइट टू एजुकेशन' मिड डे मील और राज्य सरकार द्वारा तमाम इंसेंटिव यह सोचकर शुरू किए गए थे कि सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ेगा।

इस रिपोर्ट के लिए आंकड़ें हमने 'द प्राइवेट स्कूलिंग फिनॉमिना इन इंडिया: ए रिव्यू से लिया है जो कि गीता गांधी किंगडन, आईओई, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन व आईजेडए द्वारा मार्च 2017 में तैयार की गई थी।

2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच, बहुत सारे राज्यों के सरकारी स्कूलों में छात्रों के पंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश, जहाँ के आधे बच्चे सरकारी

स्कूलों में एनरोल्ड थे वहाँ भी पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 0.8 मिलियन की गिरावट आई है। असम और बिहार के सरकारी स्कूलों में जहाँ कि नामांकन का प्रतिशत सर्वाधिक है, वहाँ इस संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई। असम में जहाँ 0.05 मिलियन बच्चे बढ़े वहीं बिहार में नामांकन में 2 मिलियन की बढ़ोत्तरी हुई। स्पष्ट है, यह संख्या आरटीई की सफलता की गारंटी नहीं हैं, क्योंकि लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट बिहार में सरकारी शिक्षा की खराब हालत दिखाते हैं। गुजरात में भी बदलाव धीमी गति से आ रहा है, पिछले 5 सालों में यहाँ के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 0.1 मिलियन की कमी आई। छत्तीसगढ़ में कुल एनरोलमेंट

में 0.5 मिलियन की कमी आई।

कई अन्य राज्यों में भी पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रों के एनरोलमेंट में काफी गिरावट आई। हरियाणा में 0.4 मिलियन की, हिमाचल प्रदेश में 0.16 मिलियन की, जम्मू और कश्मीर में 0.18 मिलियन की, झारखंड में 0.86 मिलियन की, केरल में 0.21






सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन



सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन



मिलियन की, मध्य प्रदेश में 2.6 मिलियन की, महाराष्ट्र में 1.4 मिलियन की, ओडिशा में 0.6 मिलियन की, पंजाब में 0.09 मिलियन की और कर्नाटक में 2010-11 से 2015-16 के बीच 0.5 मिलियन की गिरावट आई।


हालांकि, अगर कुल संख्या पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है अधिक आबादी वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरफ अधिक ध्यान भी नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 3.08 मिलियन और 2.29 मिलियन छात्रों की कमी आई है। हालांकि, 2015-16 के आखिर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 19 मिलियन और 13 मिलियन से भी अधिक एनरोलमेंट हुए थे, जो कि छात्रों की संख्या में आई कमी के मुकाबले 5 गुना अधिक है। यहाँ सरकारी से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का जाना जारी है, लेकिन मौजूदा समय में आबादी इतनी है कि संख्या काफी हो जाती है, ऐसे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के कोई उपाय भी नहीं होते।

हालांकि, कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी चिंता का विषय है। साल 2010-11 में, करीब एक तिहाई स्कूलों में 50 से भी कम छात्र थे। अनुमान के मुताबिक, एक मिलियन

से भी अधिक सरकारी स्कूलों की मौजूदगी में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 350,000 है। अकेले 2011 में, 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का खर्च 21,000 करोड़ रुपये से अधिक था। वर्ष 2015-16 के बीच ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर कुल स्कूलों की संख्या के 40% तक पहुँच गई और खर्च लगभग दोगुना यानि 48,340 करोड़ हो गया।

सामाजिक और भौगोलिक कारकों पर गौर किया जाए तो, सरकारी स्कूलों के समेकन का विकल्प हर जगह सम्भव नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि प्रति छात्र शिक्षकों की उपलब्धता की संख्या का प्रबंधन भी सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, 2015-16 में, 20 से कम छात्रों वाले हर एक स्कूल में दो-दो शिक्षक थे। स्पष्ट है कि, ऐसे स्कूलों में कौशल और विषय सम्बंधी विशेषज्ञता का अभाव महसूस किया गया क्योंकि कोई भी शिक्षक हर विषय में विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। अतः ऐसे में खामियाजा प्रायः छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। चूंकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 10 पर्सेंट सरकारी स्कूलों को ही कवर किया गया था, और इस तरह के छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन, विशेषज्ञता की कमी और संसाधनों के अभाव को देखते हुए लर्निंग आउटकम

## सरकारी स्कूलों में नामांकन की औसत संख्या



रिपोर्ट में पाए गए तथ्य वास्तव में और ज्यादा हतोत्साहित करने वाले हो सकते हैं।

सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि शून्य के बराबर बच्चों वाले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या घटकर 7000 तक पहुंच गई है, लेकिन वर्ष 2011-2016 के बीच ऐसे स्कूलों की संख्या में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी हो गई। ऐसे स्कूलों की संख्या जहाँ 5 अथवा इससे कम छात्र पढ़ते हैं, में 33 परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 10 अथवा इससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई, और 20 या इससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में भी 50% तक की बढ़ोतरी हुई। इससे साफ है कि सरकार छोटे सरकारी स्कूलों की बढ़ती संख्या पर

भी नजर नहीं रख सकी है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकार स्कूलों का समेकन करने में भी असफल रही है।

कोई भी स्कूल उतना ही अच्छा होगा, जितना कि वहाँ के शिक्षक, इसे चलाने वाला प्रशासन, और इन्हें आगे बढ़ाने वाली सरकार। शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों के लिए, संख्या कुछ उम्मीद बढ़ाने वाली हो सकती है, मगर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों, खासतौर से वे जहाँ कोई छात्र ही नहीं हैं, वहाँ समस्याओं को तुरंत दूर करने की जरूरत है। शिक्षकों को काम करने के लिए छात्रों से भरी हुई कक्षाएँ मिलनी चाहिए, न कि खाली कमरे।

इन सभी छोटे स्कूलों में उपस्थिति, प्रदर्शन मूल्यांकन, बड़ी कक्षाओं में प्रमोशन आदि मुद्दे सवालियों के घेरे में हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी स्कूल जहाँ बच्चों की संख्या सिर्फ 5 अथवा 50 है वहाँ पढ़ाई के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? सरकार के लिए, समस्या का समाधान ऐसे स्थिति में स्कूलों के समेकन के विकल्प को गम्भीरता से लेने में निहित है, जिसके लिए बड़े आंकड़ों को आधार बनाकर देश भर में स्कूलों की पहुंच की स्थिति को देखा जाना चाहिए और ऐसे सभी छोटे स्कूलों के लर्निंग आउटकम का उपयुक्त मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि स्कूलों का छात्रों पर पड़ रहे प्रभावों का पता लगाया जा सके और पाठ्यक्रमों में सुधार किया जा सके। स्पष्ट है कि छात्रों की एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा अर्जित करने का पहला विकल्प बनने के लिए प्राइवेट स्कूलों को अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना है, आज भी युवा भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सरकारी स्कूलों में ही बसती है।

Source: Data derived from आईओई, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और आईजेडए की गीता गांधी किंगडन द्वारा मार्च 2017 में तैयार रिपोर्ट 'फिनोमिनन इन इंडिया: ए रिव्यू'

समय के साथ भारत में खाली होते सरकारी स्कूल (छोटे और अत्यंत छोटे सरकारी स्कूलों में समय के साथ परिवर्तन)

नामांकित छात्रों की कुल संख्या वाले सरकारी स्कूल	सरकारी स्कूलों की संख्या	सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या	सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन	प्रति स्कूल छात्रों की औसत संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात	शिक्षकों के वेतन के मद में होने वाला खर्च (करोड़ में)	सरकार द्वारा प्रति छात्र सालाना खर्च किया जाने वाला वेतन (रूपया में)	सरकार द्वारा प्रति छात्र खर्च किया जाने वाला मासिक वेतन (रूपया में)
<b>2010-11</b>								
शून्य	4,435	14,304	0	0	0	486	***	***
5 या कम	8,675	21,277	15,333	1.8	0.7	724	4,71,866	39,322
10 या कम	21,008	42,843	1,18,033	5.6	2.8	1,457	1,23,288	10,274
20 या कम	71,189	1,38,033	9,20,254	12.9	6.7	4,694	51,005	4,250
50 या कम	3,13,169	6,33,323	95,10,902	30.4	15	21,536	22,643	1,887
कुल सरकारी स्कूल	10,35,602							
<b>2015-16</b>								
शून्य	5,044	6,961	0	0	0	334	***	***
5 या कम	12,196	19,419	26,186	2.1	1.3	1,016	3,87,992	32,333
10 या कम	31,963	55,822	1,90,340	6	3.4	2,921	1,53,441	12,787
20 या कम	1,08,183	2,08,534	13,94,126	12.9	6.7	10,910	78,260	6,522
50 या कम	4,18,825	9,23,929	11,74,382	28	12.7	48,340	41,164	3,430
कुल सरकारी स्कूल	10,47,895							
<b>2010 और 2015 के बीच हुआ परिवर्तन</b>								
शून्य	609	-7,343	0	0	0	-152	***	***
5 या कम	3,521	-1,858	10,853	0.3	0.6	292	-83,874	-6,989
10 या कम	10,955	12,979	72,174	0.4	0.6	1,464	30,153	2,513
20 या कम	36,994	70,501	4,73,872	0	0	6,216	27,255	2,272
50 या कम	1,05,656	2,90,606	22,32,280	-2.4	-2.3	26,804	18,521	1,543

# स्कूलों को मुनाफा अर्जित करने की मिले अनुमति

अगर हम स्कूलों को मुनाफा नहीं कमाने देंगे तो नुकसान हमारे बच्चों का ही होगा

श्रुति राजगोपालन

फेलो, क्लासिकल लिबरल इंस्टिट्यूट, एनवाईयू स्कूल आफ ला, न्यूयार्क

नए साल में नया संकल्प लेने का वक्त आ गया है। ऐसे में मैं एक नियम में सुधार की बात करूंगी, जो मेरे हिसाब से इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वह है शिक्षा क्षेत्र को स्वतंत्रत किया जाए और स्कूलों को लाभ कमाने का अवसर दिया जाए।

250 मिलियन से भी अधिक छात्रों के साथ, भारत में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक है। और सभी छात्रों की शैक्षिक जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पर्याप्त स्कूल भी हैं। मगर, दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में सरकारी स्कूल या तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुके हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके अधिकांश छात्र बमुश्किल ही साक्षर हैं। हालत इतनी खराब है कि, 5वीं कक्षा के छात्र भी अंकगणित के साधारण से सवाल नहीं सुलझा सकते हैं। भारत के गरीब माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या तो पैसे चुकाने पड़ते हैं अथवा उन्हें फ्री वाले सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है। सबसे अधिक निन्दनीय बात यह है कि


सरकारी शिक्षा प्रणाली की खामियों के प्रमाण हासिल करना कठिन है।

जहाँ अधिकतर भारतीय देश की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की विफलता से वाकिफ हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती संख्या, खासतौर से कम खर्च वाले अधिकतर स्कूल संज्ञान में नहीं आ पाते हैं। प्राइवेट स्कूल न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लाखों लोगों का जीवन और जीविका सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, जो अगले कुछ सालों में देश के कामगार वर्ग में शामिल होंगे। पब्लिक स्कूलों को चलाने के लिए लगने वाले आवश्यक खर्च की तुलना में बेहद कम संचालन खर्च वाले प्राइवेट स्कूल एक बेहतर और कम खर्चीला विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं।

गीता गांधी किंगडन की वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूलिंग से सम्बंधित चार प्रकार के कारक अथवा प्रवृत्तियाँ दिखाई देते हैं, जो आधार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पहला, काफी बड़ी संख्या में छात्र पहले ही प्राइवेट स्कूलों में एनरोल हो चुके हैं (49% शहरी और 21%

ग्रामीण बच्चों ने वर्ष 2014-15 में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ली थी)। दूसरा, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के बीच सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 4-5 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। तीसरा, इसी समय के दरम्यान सरकारी स्कूलों में होने वाले नामांकन की संख्या में 11.1 मिलियन की गिरावट आई, जबकि प्राइवेट स्कूलों में होने वाले नामांकन 16 मिलियन तक बढ़ गए। अंततः ये प्राइवेट स्कूल अमीर बच्चों के सरकारी स्कूलों से निकलने का कारण नहीं बन रहे ह (शहरी प्राइवेट स्कूलों की माध्यिका (मीडियन) फीस 500 रुपये प्रति माह और ग्रामीण इलाकों में 275 रुपये प्रति माह थी)।

सबसे रोचक बात यह है कि भारत में प्राइवेट स्कूलों का तेज विकास उस दौर में हुआ है जब शैक्षिक उद्यमिता के लिए यहाँ सबसे प्रतिकूल वातावरण है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए बेहद कठिन नियम लागू किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत, एक बार मान्यता मिल जाती है तब इन स्कूलों के लिए अपने यहाँ 25% सीटें सामाजिक





व आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षित करनी पड़ती है। और समय-समय पर, जज और नौकरशाह गैर मान्यता प्राप्त कम-खर्च वाले स्कूलों को बंद करने अथवा ढहाने का फरमान जारी करते रहते हैं। इन सभी कारणों से, प्राइवेट स्कूल, अपने समकक्ष सरकारी प्रतिष्ठानों से काफी बेहतर होने के बावजूद गरीब बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक विकल्प मुहैया नहीं करा पाते हैं। कम-खर्च वाले प्राइवेट स्कूलों का लर्निंग आउटकम भी उनके समकक्ष सरकारी प्रतिष्ठानों के मुकाबले काफी बेहतर रहता है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न स्तर पर कई विभिन्नताएं (वैरिएशंस) देखने को मिलती हैं लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की यहां कोई गारंटी नहीं होती है।

तमाम अवरोधों एवं रुकावटों के बावजूद, प्राइवेट स्कूलों में फ्री के सरकारी स्कूलों के मुकाबले कहीं अधिक संख्या में नामांकन हो रहे हैं। ऐसे में कितना अच्छा होगा यदि इन रुकावटों को दूर कर दिया जाए जिससे हजारों प्राइवेट स्कूल फल-फूल सकेंगे। अगर भारत में अन्य क्षेत्रों के उदारीकरण को एक उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए तो, यह निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इससे गुणवत्ता में व्यापक बदलाव आता है, कीमतों में कमी आती है और नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा मिलता है। भारत एक ऐसे दौर से भी गुजरा है जब फोन के एक कनेक्शन के लिए लोगों को सालों इंतजार करना पड़ता था जबकि आज यहां दुनिया में सबसे अधिक सेल्युलर कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गुणवत्ता और कीमतों में सुधार के साथ-साथ उदारीकरण ने भारतीयों के लिए नवाचार के जरिए बाजार में तमाम विकल्प भी मुहैया कराया है। यही जरूरत हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी है; उच्च गुणवत्ता, कम कीमत और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार व प्रयोग।

शिक्षा क्षेत्र में उदारीकरण का पहला चरण है स्कूलों को लाभ कमाने का अवसर मिलना। भारत में उदारीकरण के बाद लाभ के उद्देश्यों को मान्यता मिल चुकी है मगर आज भी अधिकतर लोग यह मानते हैं कि शिक्षा जैसे 'महत्वपूर्ण' और 'धर्मार्थ' कार्य को मुनाफा कमाने की नियत से अलग रखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि गैर लाभकारी मौजूदा प्राइवेट शिक्षा के सिस्टम में भी ये ही माता-पिता की प्राथमिक पसंद हैं। भारत में निजी शिक्षा की बढ़ती मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने का तरीका यही है कि शैक्षणिक संस्थानों को मुनाफा अर्जित करने की अनुमति दे दी जाए।

स्कूलों को मुनाफा कमाने से रोकने के पीछे जो सबसे आम दलील होती है, वह है

माता-पिता को स्वार्थी पूंजीपतियों से सुरक्षित रखना। वास्तव में, भारतीय माता-पिता और बच्चों को लाभ कमाने वाले स्कूलों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दरअसल, मुनाफा कमाने वाले प्राइवेट स्कूल सही ढंग से संचालित हों यह सुनिश्चित कराने का एक ही उपकरण है और वह है; घाटे का डर (अर्थात छात्रों को खोने का डर)। यही आवेग छात्रों को अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करता है। आजकल के माता-पिता इतने समझदार हैं कि वे यह समझ सकते हैं कि स्कूल को चलाने में काफी खर्च आता है और अगर कोई स्कूल उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे लेकर बेहतर शिक्षा नहीं मुहैया कराएगा तो वे अपने बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने और बेहतर विकल्प अपनाने में हिचकेंगे नहीं। उन्होंने सरकारी स्कूल सिस्टम से अपने बच्चों को निकालकर पहले ही अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे दिया है।

आने वाली पीढ़ी को अच्छी और पर्याप्त शिक्षा न दे पाने का हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर साल भारत में सरकारी स्कूलों में सुधार होने का इंतजार करते हुए लाखों भारतीय सीखने का अवसर गंवा देते हैं। इससे उन्हें जीविका अर्जित करने का साधन नहीं मिल पाता है और इस कारण अपने जीवन को समृद्ध करने का अवसर भी उनसे छिन जाता है। आज अगर ये बच्चे अशिक्षित और बेरोजगार रह गए तो एक या दो दशक बाद देश में सामाजिक स्तर पर बहुत अधिक असमानता देखने को मिल सकती है और अराजकता जैसे माहौल का सामना कर पड़

आने वाली पीढ़ी को अच्छी और पर्याप्त शिक्षा न दे पाने का हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर साल भारत में सरकारी स्कूलों में सुधार होने का इंतजार करते हुए लाखों भारतीय सीखने का अवसर गंवा देते हैं। इससे उन्हें जीविका अर्जित करने का साधन नहीं मिल पाता है और इस कारण अपने जीवन को समृद्ध करने का अवसर भी उनसे छिन जाता है।

सकता है। हर भारतीय माता-पिता और बच्चे अपनी पसंद की और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करने के अधिकारी हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से, भारत उन सभी 250 मिलियन बच्चों को कल्पना की उड़ान प्रदान करते हुए शिक्षा में नवाचार का दरवाजा खोल सकता है जो अगले दो दशक में देश के कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसा कर पाने में अगर हम सफल नहीं रहे तो बहुत बड़ी आपदा की नींव पड़ेगी जिसे झेलना पूरे देश को पड़ेगा। अगर हम स्कूलों को लाभ का अवसर नहीं देंगे तो नुकसान हमारे बच्चों का ही होगा।

(साभार: <https://www.livemint.com/Opinion/UHElb5RCpBtCiBmhBuKUHI/2018-resolution-allow-for-profit-schools.html>)





# सपनों का मॉडल स्कूल कैसा हो —इसके शिल्पकारों से सीधा जानें

## सहयोगियों के विचार



**श्रद्धा झा**

सलाहकार और प्रशिक्षक

श्रद्धा, स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार है और क्वालिटी चार्टर में निर्धारित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए आवश्यक अनुकूल माहौल का निर्माण करने हेतु निसा से संबद्ध स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली, अंबाला, विजयवाड़ा और हैदराबाद में पांच से अधिक प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन कर आठ राज्यों के स्कूल लीडर्स और टीचर्स को प्रशिक्षित किया है।



**बृजेश कपिल**

स्कूल असेसर

बृजेश दिव्य महिमा पब्लिक स्कूल, अंबाला (हरियाणा) के मैनेजर हैं और बतौर निसा मूल्यांकन कर्ता (असेसर), दो मूल्यांकन बैठकों (असेसमेंट्स) का आयोजन कर चुके हैं।

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के दल के सदस्यों से बातचीत करने और बजट प्राइवेट स्कूलों व अन्य सहयोगियों विशेषकर स्कूल लीडर्स और टीचर्स के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं श्रद्धा झा और बृजेश कपिल। श्रद्धा जहां वर्कशॉप का आयोजन कर स्कूलों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वालों को प्रशिक्षित करती हैं वहीं बृजेश स्कूल मैनेजर हैं और हरियाणा में स्कूलों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर्ता (असेसर) हैं।

### कैसा है आपके सपनों का मॉडल स्कूल

**S** एक ऐसा स्कूल, जो बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सपने देखने और उन्हें उन सपनों को पूरा करने के में सक्षम बना सके, मेरे लिए वही मॉडल स्कूल अथवा उत्कृष्टता का केंद्र होगा। एक आदर्श स्कूल के बदलाव की कहानी इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम स्तर की उम्मीदों से कहीं आगे तक जाती है। हालांकि इसका मतलब शैक्षणिक परिणामों के महत्व को किसी भी सूरत में कमतर कर के आंकना नहीं है, लेकिन मॉडल स्कूल का ध्यान छात्रों को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक मूल्यों, मनोभावों (एटीट्यूड) और कौशल्य का विकास और परवरिश कर उन्हें अनुकरणीय वैश्विक नागरिक बनाने पर केंद्रित रहना चाहिए।

**B** जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक मॉडल स्कूल को छात्रों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए आवश्यक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और तौर तरीकों से युक्त होना चाहिए। स्कूल को छात्रों को जाति, संप्रदाय, कुल, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव से परे समानता वाला माहौल उपलब्ध कराना चाहिए। स्कूल को छात्रों के भीतर आत्म विश्वास, नेतृत्व वाले गुण और जीवन कौशल्य का विकास करना चाहिए। स्कूल को अपने यहां विभिन्न पहलुओं के बाबत योजना बनाने की प्रक्रिया में सभी साझेदारों (अभिभावकों, अध्यापकों और छात्रों) को शामिल करना चाहिए। स्कूलों को अपने छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

### क्वालिटी चार्टर

क्वालिटी चार्टर एक व्यापक रूपरेखा है जो निसा के नेटवर्क से जुड़े बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए गुणवत्ता के मानक तय करता है। ये मानक मापे जा सकने वाले पांच विषयों (आयामों) की पहचान करते हैं जो 58 सूचकों में विभक्त होते हैं।

### स्व-मूल्यांकन (सेल्फ असेसमेंट)

यह एक उपकरण है जो समस्याओं की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। बहु वैकल्पिक प्रश्नावली के रूप में मौजूद इस उपकरण को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त किया जा सकता है। स्व-मूल्यांकन का यह उपकरण स्कूल लीडर्स को पांचों मापकों के 33 सूचकों के आधार पर उनके स्कूलों के मूल्यांकन करने और अनुपालन स्तर का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है।

### तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन (थर्ड पार्टी असेसमेंट)

तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन का कार्य निसा के प्रमाणित मूल्यांकन कर्ता करते हैं। ये मूल्यांकन कर्ता स्कूलों का स्वयं भ्रमण करते हैं। स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की पहचान कर स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक सुधार से संबंधित सुझाव देते हैं।



## आपके अनुसार मॉडल स्कूल अथवा गुणवत्ता युक्त स्कूलों के निर्माण में निसा किस प्रकार सहयोगी हो सकता है?

**S** गुणवत्ता सुधार के लिए निसा की पहल अपने सदस्य स्कूलों के बीच इस बात के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है कि मॉडल स्कूल होने के मायने क्या हैं? क्वालिटी चार्टर (क्यूसी) अभियान के तहत स्कूलों पर अपने विशाल तंत्र और उपकरणों का प्रयोग कर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का निसा का यह दृष्टिकोण अपने आप में अनूठा है। क्यूसी मानदंडों के बाबत अवगत कराने के लिए हमने चार चरणों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जिसमें लगभग 150 स्कूल लीडर्स और टीचर्स ने हिस्सा लिया। इस प्रक्रिया के तहत, स्कूल निसा के गुणवत्ता पहल के तहत प्राप्त होने वाले समुचित दिशा निर्देशन, हस्तक्षेप और सहयोग हासिल कर अपनी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। स्कूलों की सफलता निसा की प्रभावी लहर बनाने और उत्कृष्टता के लिए

प्रयास करने के लिए अन्य स्कूलों को प्रेरित करने में सक्षम करेगी। निसा को विस्तार देने और चरणबद्ध तरीके से प्रभाव पैदा करने के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है और इस काम में शुरुआती दौर में इससे जुड़े स्कूलों की मदद ली जा सकती है।

**B** मैं भारत में 100 मॉडल स्कूल विकसित करने के लिए निसा द्वारा की गई पहल की सराहना करता हूँ क्योंकि सरकार पूरे देश में शिक्षा पर भारी मात्रा में खर्च करने के बाद भी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। निसा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है जिसमें 21वीं सदी के दौरान काम में आने वाले कौशल्य का विकास भी शामिल है।

## स्कूल संचालकों और शिक्षकों के साथ कार्य करने का आपका अनुभव : उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ!

**S** बीपीएस की अपनी जटिलताएं और मुश्किलें हैं, फिर भी इन स्कूलों के संचालक और शिक्षक गैर-बजट निजी स्कूलों के अपने समकक्षों के समान हैं, और अपने स्कूल और छात्रों के लिए एक दृष्टि साझा करते हैं। शिक्षक भी इसी तरह के जुनून के साथ काम करते हैं जैसा कि मैंने प्रशिक्षण और आंकलन के दौरान देखा है। उद्यमशील संचालक नए विचारों को अपनाने के प्रति तत्पर रहते हैं और शिक्षा प्रदाताओं से अपनी प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार सेवाओं का लाभ उठाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान भी, वे श्रेष्ठ तौर तरीकों वाले ज्ञान के साथ खुद को समृद्ध करने के इच्छुक रहते हैं। कम शुल्क और नियामक बाधाओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संघर्षों के बावजूद, स्कूल संचालकों के भीतर नई प्रौद्योगिकी, नवाचार युक्त शिक्षा वाले पाठ्यक्रम को अपनाने की जबरदस्त भूख होती है।

हालांकि, चूंकि शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य शिक्षक को ही करना होता है इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण की प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करना बेहद आवश्यक है। वर्षों पुरानी पारंपरिक शिक्षण शैली में शिक्षा प्रदान करने और प्रौद्योगिकी के साथ परिचय की

कमी के कारण, शिक्षकों से सर्वोत्तम परिणामों को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, शिक्षकों और स्कूल संचालकों को प्रेरित करना और उनकी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना किसी भी कार्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

**B** सभी स्कूल संचालक अपने इलाके की जरूरत के अनुसार अपने स्कूलों को विकसित करते हैं। सभी स्कूल संचालकों के बीच आम बात यह है कि हर कोई बेहतर अकादमिक परिणाम चाहता है क्योंकि अधिकांश माता-पिता केवल अकादमिक परिणामों से स्कूलों का आंकलन करते हैं। दूसरी तरफ, बीपीएस में काम कर रहे शिक्षक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में अधिक बोझ सहन करते हैं। अभिभावकों की उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं, इसलिए वे बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुधार चाहते हैं, लेकिन अधिकतर अभिभावक सहयोग नहीं देना चाहते हैं।

इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी निजी स्कूल बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माता-पिता अपने बच्चों के विकास के लिए शिक्षकों के साथ सहयोग करें।

## बीपीएस के साथ काम करने के आपके अनुभव के अनुसार शिक्षा में स्कूली और नीतिगत स्तर पर किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है?

**S** बात चाहे एक खुशहाल परिवार की हो या शांतिपूर्ण समाज और राष्ट्र की हो, शिक्षा जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी का काम करती है। समस्त क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी हितधारक मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। माता-पिता, निर्णय निर्माता होने के नाते, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण हितधारक की भूमिका निभाते हैं अतः उन्हें भागीदारों के रूप में देखा जाना चाहिए। यद्यपि माता-पिता की आकांक्षाएं अलग नहीं होती हैं, फिर भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि गैर-बीपीएस सेगमेंट के मुकाबले अलग-अलग होती है और इसलिए यह माता-पिता के साथ गहरे जुड़ाव की मांग करती है। स्कूल को चाहिए कि अभिभावकों को गुणवत्ता केंद्रित गतिविधियों में शामिल करके बच्चों के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के साथ-साथ जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व को साझा करने के लिए उन्मुख करे। स्कूल संचालक इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नीतिगत स्तर पर, स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए

शिक्षकों में निवेश करना जरूरी है। शिक्षक वह आधार है जिस पर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली आधारित है। इसलिए, हमें एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने की जरूरत है जो उनके पेशे का सम्मान करता हो, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधनों को आकर्षित करता हो, निरंतर प्रशिक्षण और समर्थन का आश्वासन देता हो, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता हो और बड़े पैमाने पर प्रभाव के लिए उपलब्धियों को अंतिम रूप से मान्यता देता हो और उसका अनुष्ठान करता हो।

**B** 21वीं शताब्दी के कौशल्य और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए स्कूलों को समग्र पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। स्कूलों को विभिन्न स्तरों पर कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षकों और प्रबंध कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए।

सरकार को शिक्षा के लिए नई नीतियां बनाने के बारे में सोचना चाहिए जो रट्टा मार कर सीखने वाली पद्धति की बजाए व्यावहारिक और अभ्यास कर सीखने के तरीकों को बढ़ावा देती हों।





# व्यवसाय करने की अ'सुगमता':

भारत में प्राइवेट स्कूल खोलने और चलाने  
के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता

अरिहंत पावरिया

सीनियर एडिटर, स्वराज्य

नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में व्यवसाय शुरू करने हेतु सहूलियत देने के महत्व को समझा है और इस दिशा में उपाय भी किए हैं। विश्व बैंक की रैंकिंग में अपना स्थान ऊपर लाने के लिए वर्ष 2015 से लेकर अब तक सुधारों की पूरी श्रृंखला चलाई गई। पिछले तीन वर्षों में देश की रैंकिंग 142 से बढ़कर 100 तक पहुंच जाना सरकार के उन्हीं प्रयासों का एक नमूना भर है।

इससे अधिक नहीं तो कम से कम इसी तरह की पहल जल्द से जल्द शिक्षा के क्षेत्र में भी करने की जरूरत है जिसके तहत प्राइवेट, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को खोलने और चलाने के नियमों को भी आसान बनाने की जरूरत है। कुछ लोग इसे शिक्षा के व्यावसायीकरण का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को खोलने और संचालन सम्बंधी कड़े नियमों में बदलाव लाकर इन्हें आसान बनाने की जरूरत इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में मध्यमवर्ग का दायरा बढ़ रहा है, लाखों बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला

ले रहे हैं। समय बढ़ने के साथ यह ट्रेंड और भी मजबूत होगा क्योंकि अधिक से अधिक माता-पिता आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों का खर्च वहन कर सकते हैं।

यद्यपि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) लागू होने के बाद से स्कूल खोलना और उसे चलाने की सहूलियत मिलना किसी सपने जैसा रह गया है।

स्वराज्य के डिजिटल और प्रिंट पेजेज, दोनों पर ही इस लेखक ने काफी विस्तार से लेख लिख कर आरटीई एक्ट की खामियों को उजागर किया है। हम हमेशा से इस बात की आलोचना करते रहे हैं कि इस एक्ट के दायरे से अल्पसंख्यक स्कूलों को दूर रखा गया है (महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि सेक्शन 12 जिसके अनुसार प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त, गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए अपनी 25% सीटें पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है)। सेक्शन 13 जो कि बच्चों को दाखिला देने के लिए किसी भी प्रकार की जांच पर रोक लगाता है; सेक्शन 16 जो कि बच्चे के प्रदर्शन और उसकी लर्निंग क्षमता को नजरअंदाज करते हुए उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना अनिवार्य बनाता है, आदि।

यद्यपि, इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू ऐसा भी है जिसमें स्कूल की मान्यता के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया स्कूटनी की मौलिक जरूरत को नजरअंदाज किया गया है। इस सम्बंध में नियम और बाध्यताएँ सेक्शन 18 और 19 में शामिल हैं।

यह एक्ट कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल उपयुक्त सरकारी अथॉरिटी से मान्यता सर्टिफिकेट हासिल किए बिना नहीं चल सकता है, जिसके लिए कुछ निश्चित अनिवार्यताएँ, तय मानकों के हिसाब से पूरी करना आवश्यक है जैसा कि 'मॉडल रूल्स अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट, 2009' की नियम संख्या 11 और 12 में निश्चित किया गया है।

आखिर, वे कौन से नियम हैं जो इस सूची में तय किए गए हैं? पहला, कक्षा 1 से लेकर 8 तक कक्षा में बच्चों की संख्या के हिसाब से कुछ निश्चित अनुपात में शिक्षकों का होना अनिवार्य है। दूसरा, भवन सम्बंधी जरूरतें (किचन, खेल का मैदान, कक्षाओं की संख्या आदि)। तीसरा, साल में न्यूनतम कार्य-दिवसों की संख्या। चौथा, शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे। पांचवाँ, शिक्षा सम्बंधी सुविधाओं की हर कक्षा में उपलब्धता। छठा, लाइब्रेरी। सातवाँ, खेलने के सामान, गेम

और स्पोर्ट्स के उपकरण।

**मॉडल रूल के नियम 11 और 12 क्या कहते हैं?** ऊपर दिए गए सभी नियमों के पालन के बाद हर स्कूल को एक फॉर्म 1 भरना होता है, जिसमें यह उद्घोषणा होती है:

1. स्कूल का संचालन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 21वाँ) के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा किया जा रहा है अथवा किसी भी कानून के तहत पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट इसे संचालित कर रहा है।
2. स्कूल किसी भी व्यक्ति, समूह, व्यक्तियों के संगठन अथवा किसी अन्य के लिए लाभ अर्जित करने के लिये किया जाने वाला कार्य नहीं है।
3. स्कूल यह स्वीकार करता है कि वह संविधान में तय मूल्यों का पालन करेगा।
4. स्कूल के भवन अथवा इसकी संरचना अथवा ग्राउंड का इस्तेमाल शिक्षा और कौशल विकास के अलावा और किसी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
5. स्कूल राज्य सरकार अथवा स्थानीय अथॉरिटी द्वारा निश्चित किसी भी अधिकारी द्वारा जांच के लिए हर समय उपलब्ध रहेगा।
6. स्कूल समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ तैयार रखेगा जिनकी जरूरत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन / डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को होगी और इसमें राज्य सरकार / स्थानीय अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पालन होना चाहिए। इसके आधार पर राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण स्कूल को चलाने की मान्यता को बरकरार रख सकता है अथवा उसे रद्द भी कर सकता है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहद कम फीस में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को दाखिला देने वाले गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद करने के लिए आरटीई एक्ट के सेक्शन 18 और 19 को हथियार बनाया है। कई अन्य राज्य भी चुपचाप इस तरह के कदम उठा रहे हैं।



इसके अलावा फॉर्म 1 में विवरणों के 8 अन्य टेबल भी भरने होते हैं, जैसे कि:

D. नामांकन की स्थिति			
	कक्षा	सेवशनों की सं.	छात्रों की सं.
1	ग्री पाईमरी		
2	I-V		
3	VI-VIII		

E. मूलभूत सुविधाओं का विवरण और स्वच्छता की स्थिति			
	कमरे	संख्या	औसत आकार
1	क्लासरूम		
2	ऑफिस रूम – सह – स्टोर रूम – सह – हेडमास्टर रूम		
3	किचन – सह – स्टोर		

F. अन्य सुविधाएं			
1	क्या सभी सुविधाएं सबके लिए आसानी से उपलब्ध हैं		
2	टीचिंग लर्निंग मटेरियल (सूचि संलग्न करें)		
3	खेल कूद के उपकरण (सूचि संलग्न करें)		
4	लाइब्रेरी में मौजूद सुविधाएं i) पुस्तकें (पुस्तकों की सं.) ii) समाचार पत्र/पत्रिकाएं		
5	पेयजल की उपलब्धता और प्रकार		
6	स्वच्छता की स्थिति i) शौचालय और मूत्रालय के प्रकार ii) लड़कों के लिए अलग से शौचालयों और उनमें सीटों की सं. iii) लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों और उनमें सीटों की सं.		

G. जी. शैक्षणिक कर्मचारियों से जुड़े विवरण			
1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण (प्रत्येक शिक्षक की जानकारी अलग अलग विस्तार से)			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक योग्यता (4)	व्यावसायिक (प्रोफेशनल) योग्यता (5)	शिक्षण कार्य का अनुभव (6)
	कक्षा का निर्धारण (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं में शिक्षण (प्रत्येक शिक्षक की जानकारी अलग अलग विस्तार से)			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक योग्यता (4)	व्यावसायिक (प्रोफेशनल) योग्यता (5)	शिक्षण कार्य का अनुभव (6)
	कक्षा का निर्धारण (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3. प्रधान अध्यापक (हेड टीचर)			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक योग्यता (4)	व्यावसायिक (प्रोफेशनल) योग्यता (5)	शिक्षण कार्य का अनुभव (6)
	कक्षा का निर्धारण (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)





इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एक इंस्पेक्शन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा किया गया है या नहीं, इसके बाद ही वह स्कूल को मान्यता सम्बंधी सर्टिफिकेट जारी करता है। हालांकि, यह प्रक्रिया अस्थायी होती है और सिर्फ 3 साल तक के लिए ही मान्य रहती है। इतना ही नहीं, यह मान्यता सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 8 तक के लिए ही मान्य होती है। इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए, अलग से और इसी के समान नियम हैं। ऐसे स्कूल जो सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर संचालित किए जाएंगे, उन उपर एक लाख रुपये तक और 10,000 रुपये प्रति दिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन अनिवार्यताओं को पूरा कर लेना, खासतौर से वे जो ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया है, भी काफी नहीं होता है। यह जान लेना भी जरूरी है कि ये सारे वे नियम हैं जो सेंट्रल एक्ट के तहत अनिवार्य हैं। राज्य के अपने नियम भी होते हैं, यानी कि नियमों की अतिरिक्त परतें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 'एसेशियालिटी सर्टिफिकेट' यानि 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जो कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा हर पांच साल में जारी किया जाता है।

यहाँ तक कि सीबीएसई जैसे सेंट्रल बोर्ड भी स्कूलों को अपनी सम्बद्धता देने से पहले इन्हें पूरा करने की अनिवार्यता जैसी खर्चीली प्रक्रिया को प्राथमिक शर्त मानते हैं। इस सबसे ऊपर एक और बात है, इसके लिए कुछ परमिशन और प्लान और भी हैं जैसे भवन, स्वास्थ्य, पानी, भूमि का इस्तेमाल आदि आदि जिसका परमिट नगर निगम से हासिल करना होता है।

हालत इतनी खराब है कि दशकों से बेहद सफलतापूर्वक चल रहे बेहतरीन स्कूलों, जो कि बहुत अच्छी शिक्षा और सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी प्राधिकारियों की लाल-फीताशाही का सामना करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर का स्कूल शारदाश्रम विद्यामंदिर कक्षा 1 से 4 तक के लिए मान्यता में परिवर्तन (अमेंड इन अफिलिएशन) कर एसएससी (राज्य बोर्ड) से आईसीएसई बोर्ड की सम्बद्धता चाहता था और स्कूल का नाम भी बदलना चाहता था। लेकिन इन दोनों ही आवेदनों को बीएमसी ने खारिज कर दिया। तर्क यह दिया गया कि स्कूल को 2020 तक के लिए एसएससी का एनओसी मिल चुका है, ऐसे में तब तक उसे इसी तरह से चलाना होगा। स्कूल यह सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है कि बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार के लिए वह मौजूदा बोर्ड में परिवर्तन कर उपयुक्त

बोर्ड से सम्बद्धता हासिल कर लेगा। स्कूल ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि बोर्ड में परिवर्तन करना बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा एक अतिरिक्त फार्म भरने के कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।

अगर इतने प्रतिष्ठित और नामचीन लोगों के स्कूलों के आवेदन पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह रवैया है तो कोई भी यह अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि उन आम ईमानदार लोगों की क्या हालत होती होगी जो इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। ये नियम ऐसे हैं कि ये बेहद उत्साही एड्युप्रन्योर्स के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं।

आरटीई एक्ट की भाषा और अन्य नियम यह दर्शाते हैं कि राज्य वास्तव में हर किसी को शिक्षा का अधिकार दिलाने से अधिक प्राइवेट स्कूलों की प्रगति पर लगाम लगाने में रुचि रखता है।

नियमों में आर्थिक दंड के ऐसे प्रावधान हैं जो मान्यता न मिलने पर स्कूल के बंद होने का कारण भी बन सकते हैं, मगर उन सरकारी अधिकारियों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है जो स्कूलों द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद उन्हें समय पर सर्टिफिकेट देने में असफल रहते हैं। हरियाणु की सरकार राज्य में वर्ष 2003 से चल रहे लगभग 32 सौ प्राइवेट स्कूलों को अब तक मान्यता नहीं दे सकी है। मान्यता के बिना वे हरियाणा बोर्ड से सम्बद्धता के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। हैरानी होती है कि सरकार को इस देश के लिए किसी दंड का प्रावधान करने वाला कोई अधिनियम मौजूद नहीं है। उनपर भी तो स्कूलों को समय पर मान्यता देने अथवा उसे रिजेक्ट करने में असफल रहने (नियम के मुताबिक) पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, जैसे कि प्रति स्कूल प्रति दिन 10 हजार रुपये का जुर्माना। इतना सब होने के बाद भी इन स्कूलों को यदि मान्यता मिलेगी भी तो सिर्फ एक साल के लिए। यही स्थिति ओडिसा और केरल में भी है। देश के हजारों स्कूल इस तरह की परेशानियों से हर साल



गुजरते हैं, जिनके सिर पर मान्यता रद्द होने की तलवार हमेशा लटकी रहती है।

इसके साथ-साथ सरकारें मनमाने ढंग से कुछ अतिरिक्त नियम भी लागू कर सकती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के दिनों में किया है। यहां सभी स्कूलों के लिए सीसीटीवी कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, और ऐसा होने के बाद ही किसी स्कूल को यूपी बोर्ड से मान्यता हासिल होगी।

और अगर स्कूल विरोध करते हैं, तो सरकार ऐसे नियम जारी कर सकती है, जिसके अनुसार सरकार का विरोध करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है, जैसा कि चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने इस साल किया है।

इस तरह की स्थिति किसी भी सेक्टर के लिए दमघोंटू हो सकती है। ऐसे में किसी के लिए भी प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में काम करना आत्महत्या करने के बराबर हो सकता है जो कि निम्न मध्यमवर्ग और गरीब तबके के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है। हमें हर रोज इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना होता है, हम अपनी जनसंख्या के गरीब तबके के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो फेल सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूलों को लाभ कमाने से रोकने की कोशिश में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार हासिल किया है, बल्कि इसे उन लोगों के हाथों में सौंप दिया है जो पूरे सिस्टम के साथ खेलने में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। सामान्य शिक्षाविद और समाजसेवी इस बाजार में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं।

मोदी सरकार क्या कर सकती है? शुरुआत करने वालों के लिए, यह 'नेशनल ईज ऑफ ओपेनिंग एंड रनिंग ए स्कूल' रैंकिंग की शुरुआत कर सकती है। दूसरा, यह कि स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए आरटीई एक्ट में तय नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार कर सकती है। ऐसा सरकार द्वारा आसानी से सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर किया जा सकता है जैसा कि अधिनियम के सेक्शन 20 में प्रावधान है। इसे पार्लियामेंट की मंजूरी की भी कोई जरूरत नहीं होती है।

सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो कि वहन करने योग्य भी हो, राज्य सरकार को प्राइवेट स्कूलों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना होगा जिससे प्रतिस्पर्धा विकसित हो। इससे लाभ कमाने के अवसरों को रोकने में फीस नियंत्रण अधिनियम जैसे उपायों से कहीं अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।

# डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स: अदम्य मानव भावना की एक कहानी

राखी ठकुर

प्रिंसिपल, डी.सी.एम. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब



भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित 14 वीं शताब्दी में सल्तनत काल के फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित शहर है, फिरोजपुर। इस प्राचीन शहर में उस समय एक बेहतर भविष्य के लिए आशाओं और संभावनाओं की एक नई रोशनी देखी गई, जब एक भावुक शिक्षाविद श्री एमआर दास ने यहां एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के बारे में सोचा।

डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, श्री दास के विचारों और उपायों के अनुसार कार्य करता है और शिक्षा को वर्तमान ध्वज वाहकों के लिए 'दासता से मुक्ति पाने का साधन' के तौर पर प्रयुक्त करता है।

डीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी स्थापना डीसीएम स्कूलों के पहले

के तौर पर 1946 में की गई थी, आज शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र है। यहां छात्रों को सीखने के लिए श्रेष्ठ माहौल उपलब्ध कराया जाता है जो उन्हें सृजन करने, प्रयोग करने, अन्वेषण करने और चिंतन करने को प्रेरित करता है। अभ्यास कर सीखने और स्टेम (एसटीईएम) शिक्षा पर जोर, बोर्ड की परीक्षाओं के उत्कृष्ट परिणाम और प्रतिवर्ष प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को मिलने वाले दाखिलों के कारण यह स्कूल शैक्षणिक परिदृश्य में अपना विशेष स्थान रखता है।

डीसीएम स्कूल 'एक खुशनुमा स्कूल' बनाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और सभी हितधारकों जैसे छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता आदि को यह उपलब्ध कराने के







## हमारे अन्य पहल:

- गतिविधि-आधारित शिक्षण का एकीकरण
- पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी की संतुलित भागीदारी
- निर्देश के शक्तिशाली माध्यम के रूप में रंगमंच का उपयोग
- स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उम्र आधारित पाठ्य गतिविधियों का समावेश
- प्रयोगात्मक शिक्षा के आधार पर अंतः विषयिक परियोजनाएं
- सीखने को बढ़ावा देने वाले भौतिक वातावरण का गठन
- संवेदना युक्त, सामाजिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों के सृजन के लिए सामुदायिक पहुंच वाले कार्यक्रमों का आयोजन

लिए लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टिकोण सरल है— बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण सभी चीजों से ऊपर है।

अपनी क्षमताओं और रुचियों को लेकर उलझन में रहने वाला एक संकोची बच्चा जो कि असाईमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले दबा हो वह न तो आत्मविश्वास अर्जित कर पाता है और न ही आनंदमय जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल्य अर्जित कर पाता है। इसके अतिरिक्त वह एक उत्पादक श्रमबल (वर्कफोर्स) भी नहीं बन पाता है ताकि राष्ट्र के विकास में सहायक बन सके। ऐसे छात्र की सहायता के लिए एक स्कूल अधिक से

अधिक यह कर सकता है कि वह एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराए जो छात्र को उसके अंदर छिपी प्रतिभा के प्रति विश्वास जगाने में मदद करे। सीखने के लिए एक भय-मुक्त, प्रेरणादायी और मिलनसार माहौल छात्र को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सहायक होता है। डीसीएम स्कूल इन्हीं चीजों पर ज्यादा जोर देता है। होमवर्क, असाईमेंट्स संतुलित मात्रा में होते हैं और ये महज क्लासवर्क की पुनरावृत्ति नहीं होते हैं, जिससे छात्रों को पर्याप्त समय और सुकून मिल सके। माता-पिता का समर्थन और फीडबैक स्कूल को इसकी नीतियों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने में सक्षम बनाती है।

अग्रणी शैक्षिक संस्थान के रूप में डीसीएम स्कूलों की सफलता काफी हद तक उनके प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित शिक्षकों पर निर्भर करती है। वे स्कूल की नीतियों के साथ समन्वयित हैं और उन्हें व्यावहारिक आकार देने की दिशा में काम करते हैं। समूह व्यावहारिक ज्ञान और अभिनव पद्धतियों के साथ शिक्षकों को सशक्त बनाने और लैस करने में भारी निवेश करता है। पहलों को बढ़ावा देने के लिए उत्साह से प्रेरित, समूह हर साल सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कृत करता है, जो दूसरों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। कहने की जरूरत नहीं है, स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और माता-पिता के सामूहिक प्रयासों ने स्कूलों को कई सम्मानित एजेंसियों से राष्ट्रव्यापी मान्यता और प्रशंसा जीतने में मदद की है।

कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के रडार पर होने के बावजूद डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स सभी बाधाओं से गुजरने में सक्षम रहे हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अपने केंद्रित और नवाचारी दृष्टिकोण के कारण सफलतापूर्वक, डीसीएम स्कूल टीम अपने छात्रों को जागरूक कर दुनिया के नागरिकों को जागृत करने के लिए तैयार कर रही है।



ऐसे छात्र की सहायता के लिए एक स्कूल अधिक से अधिक यह कर सकता है कि वह एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराए जो छात्र को उसके अंदर छिपी प्रतिभा के प्रति विश्वास जगाने में मदद करे। सीखने के लिए एक भय-मुक्त, प्रेरणादायी और मिलनसार माहौल छात्र को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सहायक होता है।



# Schools educate, we add health



## AddressHealth Education

A workbook-based health education program for schools

- Focused on health and behavior skills
- Designed by public health experts, pediatricians, psychiatrists, doctors, dentists and psychologists
- Delivered by health professionals
- Covers students from Class 1 to 8
- Conducted through eight sessions spread over one academic year
- Health talks for parents, teachers and students

**Our services:** Medical Room, Health Education, Health Check & Nurturing Schools Program.

**Operating in:** Bangalore | Delhi | Hyderabad | Pune  
T: +91-80-22444232 | [www.addresshealth.in](http://www.addresshealth.in)  
[info@addresshealth.com](mailto:info@addresshealth.com) | Follow us on:      
**Toll Free:** 1800 425 9355

 **addresshealth**  
Healthy children. Happy children.

# अध्यापकों के रूप में डॉक्टर: अच्छे स्वास्थ्य का व्यापक प्रचार किया गया

डा. आनंद लक्ष्मण

संस्थापक व सीईओ, एड्रेस हेल्थ

“स्कूल ऐसा स्थान है जहाँ जीविका अर्जनकरना नहीं सिखाया जाता बल्कि जीवन कैसे जिया जाए यह सिखाया जाता है”

बांड़लागुडा, हैदराबाद के आर्क-जेल्ल्स हाई स्कूल में अभी-अभी दोपहर बाद का समय है, कक्षा 5 के छात्र राखी के बारे में कहानी सुन रहे हैं, जोकि कक्षा 5 की एक दूसरी छात्रा है और जल्दी थकने लगी है। अध्यापिका ने पूछा, “क्या तुम लोगों ने रक्ताल्पता (एनीमिया) के बारे में सुना है?” अध्यापिका ने विस्तार से बताया, “यह तुम्हारे विकास, सीखने और खेलने को प्रभावित कर सकता है।”

डॉ. रक्षा से मिलिए, जोकि चिकित्सा क्षेत्र की एक डॉक्टर हैं और वह स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षक भी हैं। वह स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले भारत के प्रमुख स्कूल एड्रेसहेल्थ से जुड़ी हुई हैं, जोकि स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक कार्य पुस्तिका आधारित पाठ्यक्रम की पेशकश करता है।

## स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा



प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता युवा शिक्षार्थियों को स्वस्थ और सफल जीवन के लिए ज़रूरी जानकारी और कौशल प्रदान करना है। सीखने

की अधिक क्षमता और खेलने का अधिक आनंद लेने के लिए विद्यार्थियों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। परंतु स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति स्कूलों का शैक्षिक दृष्टिकोण इसे लक्ष्य से भटका देता है। हालाँकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ (हेल्थ प्रोफेशनल्स) द्वारा तैयार और प्रस्तुत स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के साथ व्यावहारिक ज्ञान और आदतों में परिवर्तन पर जोर देने से छोटे विद्यार्थियों पर बड़ा प्रभाव होगा।

## डॉक्टर होंगे स्कूलों के स्वास्थ्य शिक्षक



एड्रेसहेल्थ के वर्कबुक पर आधारित हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ प्रोफेशनल उपलब्ध कराते हैं। इससे विद्यार्थियों को सटीक, संबंधित और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना सुनिश्चित होता है। पूरे साल के शिक्षा सत्र के दौरान आयोजित आठ पीरियड का मकसद कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य से जुड़े व्यक्तिगत और सामुहिक दोनों मूल्यों को साकार करना है।

बच्चों के माता-पिता हमारे प्रयास की सराहना करते हैं, लिहाजा स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करना आसान हो गया है।

 **addresshealth**  
Healthy children. Happy children.

## निसा के एडवोकेसी कार्यक्रम

15 जुलाई  
नई दिल्ली

17-18 जुलाई  
सीआईआई का उत्तरी परिसर  
चंडीगढ़

11 अगस्त  
विजयावाड़ा फोर्ड हाल  
आंध्र प्रदेश

13 अगस्त  
कथा आर्गनाइजेशन, अधचीनी  
नई दिल्ली

5 सितम्बर  
ब्लैक डे  
नई दिल्ली

30 अगस्त  
सचिवालय, भुवनेश्वर  
ओडिशा

1-2 सितंबर  
चंडीगढ़

22 सितंबर  
मेरिट स्कालरशिप अवार्ड  
हाथरस  
उत्तर प्रदेश

11 सितंबर  
नई दिल्ली

निसा के नए कार्यालय का उद्घाटन

सीआईआई द्वारा आयोजित  
कांफ्रेंस में सहभागी बना निसा

क्वालिटी चार्टर और अपुसमा (एपयूसएमए)  
के आम चुनावों से संबंधित निसा और अपुसमा  
की स्टेट मीटिंग

कथा आर्गनाइजेशन की संस्थापिका डा. गीता  
के साथ 300 मिलियन वर्ल्ड रीडर प्रोजेक्ट के  
संबंध में चर्चा

निजी स्कूलों के प्रबंधन में दिनोंदिन बढ़ते  
सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में देशभर के  
निजी स्कूलों ने ब्लैक डे मनाया। इसमें  
सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के  
60 हजार से अधिक स्कूलों ने लिया हिस्सा

स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ओएसडी व विशेष  
सचिव सुजीत कुमार के साथ बैठक। बजट  
प्राइवेट स्कूलों के समक्ष उत्पन्न होने वाली  
चुनौतियों पर हुई चर्चा

निसा सीईडी कांफ्रेंस का आयोजन। निसा  
अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में  
21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल्य विकास  
की जरूरत पर विचार व्यक्त किए

निसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सीईडी  
और अमर ऊजाला के संयुक्त तत्वावधान  
में आयोजित मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड  
समारोह में हिस्सा लिया

मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर  
के साथ बैठक संपन्न। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए  
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग परीक्षा को  
आगामी वर्षों तक जारी रखने के विषय पर हुई चर्चा







**Teacher's Day: भेदभाव पूर्ण नीतियों के खिलाफ देश के 60,000 स्कूलों में मनाया काला दिवस**

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ देश भर में 60,000 स्कूलों में 'काला दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों में काले रंग के बैनर लटवाए गए, जिस पर 'BLACKDAY' लिखा था।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ देश भर में 60,000 स्कूलों में 'काला दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों में काले रंग के बैनर लटवाए गए, जिस पर 'BLACKDAY' लिखा था।

तीखी मिर्ची

